सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन

आरएलएस–दक्षिण एशिया

भारत में मौसमी पलायन का मानचित्र बनाने की ओर

अदृश्य

COVID 19 - पहले साल के

अध्ययन के निष्कर्ष

2022

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन

आरएलएस–दक्षिण एशिया द्वारा प्रायोजित

साभार

यह रिपोर्ट कई लोगों व संगठनों के सहयोग से उनके द्वारा दिए गए इनपुट से तैयार हो पाया है। हमारे शोध में सहभागी बनने के लिए सहमति देने वाले सभी संगठनो का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। इन संगठनों ने हमें फीडबैक दिया और अध्ययन के अलग-अलग चरणों में पलायन पर अपने-अपने कामों को हमारे साथ साझा किया। इन संगठनों में ग्राम वाणी,सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट,पार्टनरिंग होप इन टू एक्शन (पीएचआईए) फ़ाउंडेशन, युवा, ग्राम विकास,समाज प्रगति सहयोग और कम्यूनिटी अवेयरनेस रिसर्च एंड एडुकेशन ट्रस्ट शामिल हैं। हम आईजीआईडीआर के प्रोफेसर चन्द्रशेखर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने हमारा सैद्धांतिक नोट पढ़ा और हमारा हौसला बढ़ाया। बजट रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, गुजरात के महेंदर जेठमलानी ने गुजरात के निष्कर्षों पर काम किया। अल्पेश भावसर ने प्रवासी मजदूरों से संबन्धित आंकडों के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया। हम इन दोनों के आभारी हैं। हमारे अध्ययन के मसौदा निष्कर्षों को दिल्ली में परामर्श बैठक में प्रस्तुत किया गया। हम इस बैठक में मौजूद सभी सहभागियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। इस परामर्श बैठक के अलग-अलग सत्रों में अध्यक्षता करने के लिए प्रोफेसर देबोलीना कुंडु और कान्हू सी प्रधान को विशेष धन्यवाद। सबसे अंत में हम रोजा लक्ज़मबर्ग स्टीफतुंग के नाड्या डोस्च्नेर और राजीव कुमार के प्रति दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे अध्ययन को अंजाम तक पहुंचाने में मदद की।

सुधीर कटियार

अनुष्का रोज़

गौतमी कुलकर्णी

संपादक - डेव्हिड आय ए मार्टिन

डिज़ाइन - बिंदू

मुद्रक - अमाईरा क्रिएशन्स

Our partners:

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन

आरएलएस –दक्षिण एशिया

अदृश्य

विषय सूची

1	प्राक्कथन	2
2	कार्यकारी सारांश	4
3	अध्याय 1: भूमिका –अध्ययन के दायरे	6
4	अध्याय 2: मौसमी पलायन की परिभाषा और मौसमी प्रवासियों की संख्या का आंकलन: साहित्य की समीक्षा	10
5	अध्याय 3: अध्ययन पद्धति	14
6	अध्याय 4: निष्कर्ष और टिप्पणी	18
7	अध्याय 5: समापन टिप्पणी	32
8	अंतिम नोट्स	34
9	परिशिष्ट	36
10	शब्दावली, टेबल और मैप की सूची	47
11	संदर्भ	48

प्राक्कथन

मौसमी पलायन भारत में पलायन का सबसे अहम स्वरूप है। इसके बावजूद मौसमी पलायन के बारे में सही समझदारी की कमी है। यह निर्माण, कृषि, विनिर्माण और सेवा जैसे श्रम प्रधान आर्थिक क्षेत्रों में मजदूरों की पूर्ति का प्रमुख जरिया है। मौसमी प्रवासी मजदूर अपने स्रोत (गृह–राज्य) और गंतव्य दोनों जगहों पर सबसे निचले सामाजिक–आर्थिक पायदान पर रहने के कारण नीति निर्माताओं और नीति विमर्श में हाल के समय तक अदृश्य थे। कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की वह चुनौतियाँ पहली बार सामने आईं जिनका वो सामना कर रहे थे।

कम अवधि के लिए काम करने वाला मौसमी प्रवासी मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर वर्ग का सबसे ज्यादा असुरक्षित तबका है। इनके पास कोई भौतिक पूंजी या सामाजिक पूंजी नहीं है। यह तबका नीतियों को प्रभावित नहीं कर पाता जिसके कारण सरकार की नीतियों में इनके लिए किसी भी सुरक्षा कवच का प्रावधान नहीं है। सुरक्षा कवच की कमी इनकी असुरक्षा को और गहरा करता है। लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद देश के शहरों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का अपने गृह-राज्य की ओर पलायन इस बात को स्पष्ट करता है। मौसमी प्रवासियों के बारे में आंकड़े नहीं होने से केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए इस तवके की पहचान करने और इनके लिए सामाजिक कल्याण योजना बनाने में दिक्कतें पैदा हुईं।

देश के स्तर पर आंकड़ा जुटाने वाली एजेंसी जैसे जनगणना में मौसमी प्रवासियों का आंकड़ा नहीं होता है। हालांकि नेशनल सेंपल सर्वे (एनएसओ) और इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे (आइएचडीएस) में देश के स्तर पर मौसमी/ चक्राकार पलायन प्रवाह की तस्वीर उभर कर आती है। उदाहरण के लिए हम एनएसएस के "रोजगार, बेरोजगारी और पलायन" पर 64वें राउंड (2007-2008) के आंकड़ों को ले सकते हैं। इसके अनुसार देश में 1 करोड़ 35 लाख लोग ऐसे थे जो सामान्य रूप से अपने रहने की जगह से 2-6 महीने तक बाहर थे। हालांकि इसमें चक्राकार पलायन करने वालों की संख्या को कम करके आँका गया है क्योंकि कम

Courtesy: thewire.in

2 . अदृश्य, CLRA 2022

अदृश्य

अवधि के लिए पलायन को 6 महीने तक सीमित किया गया है। हकीकत में अधिकांश चक्राकार पलायन 6 महीने से ज्यादा अवधि के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में आइएचडीएस ने व्यापक परिभाषा का उपयोग किया। आइएचडीएस सर्वे (2011-2012) ने कम अवधि के लिए पलायन करने वालों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख होने का आंकलन किया। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया था जो सर्वे शुरू होने से 5 साल पहले तक की अवधि में पलायन किए थे। आइएचडीएस सर्वे की संदर्भ अवधि को सर्वे शुरू होने के एक साल पहले तक करने से यह संख्या 1 करोड़ 32 लाख होती है। शहरों में मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा के बाद फंसे रहे प्रवासी मजदूरों और अपने स्रोत पर लौट आने वाले मजदूरों की संख्या एनएसएस और आइएचडीएस के आंकलन से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा इन दोनों स्रोतों में अलग-अलग स्तर के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। यह नीति और योजना बनाने में अवरोधक है।

महामारी के बाद पहली बार प्रवासियों के वास्तविक आंकड़े, उनका गंतव्य और उनके रोजगार क्षेत्र के बारे में सटीक जानकारी की जरूरत सामने आई है। नागरिक समाज संगठनों द्वारा जुटाए गए प्राथमिक स्तर के आंकड़ों को राज्य स्तरीय आधिकारिक आंकड़ों का पूरक समझना जरूरी है। सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन द्वारा तैयार किया गया "भारत में मौसमी पलायन का मानचित्र" इस दिशा में पहला प्रयास है। मैं इसका स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह मानचित्र नागरिक समाज संगठनों, शोध करने वालों और इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए मददगार साबित होगा। यह तथ्यों के आधार पर नीति बनाने और देश में समावेशी एजेंडे को साकार करने में उपयोगी होगा।

-प्रोफेसर देबोलीना कुंडु

कार्यकारी सारांश

इस रिपोर्ट में भारत में मौसमी पलायन का मानचित्र बनाने के मकसद से किए गए अध्ययन के पहले साल के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है। मौसमी पलायन का मानचित्र बनाने का उद्देश्य राज्य और देश के स्तर पर मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या का आंकलन करना और मुख्य पलायन प्रवाहों को चिन्हित करना है। इस मानचित्र से मौसमी या चक्राकार पलायन करने वाले प्रवासी और अर्ध-स्थाई या लंबे समय के लिए पलायन करने वाले प्रवासियों की संख्या का आंकलन करने की कोशिश की जायेगी। मौसमी या चक्राकार पलायन करने वालों में वे लोग या लोगों के समूह शामिल हैं जो अस्थाई समय के लिए एक जगह से दूसरी जगहों पर जाते हैं या कोई स्थिर गंतव्य पर जाते हैं। अर्ध-स्थाई या लंबे समय के लिए चक्राकार पलायन करने वाले प्रवासी साल दर साल लंबे समय के लिए अक्सर एक ही गंतव्य पर पलायन करते हैं। हालांकि ये लोग काम करने की उम्र खतम होने के बाद अपने स्रोत क्षेत्र में लौट आते हैं।

कोविड के समय लागू लॉकडाउन के पहले चरण में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने-अपने गृह राज्य लौट आये। अध्ययन के पहले साल में इन मजदूरों के आंकड़ों का उपयोग राज्य-वार मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या का आंकलन करने के लिए किया गया। हम यह मानते हैं कि लॉकडाउन के समय अपने –अपने गृह राज्यों में लौट आने वाले अधिकांश लोग मौसमी पलायन करने वाले मजदूर हैं। राज्यस्तरीय सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि , उपलब्ध जिला/ उप –जिला स्तर के केस स्टडीज़ द्वारा इन आंकड़ों की पुष्टि की गयी।

महीनों के विस्तृत अध्ययन और आंकड़ों का संकलन करने के बाद शोध टीम ने कोविड लॉकडाउन के पहले चरण में लगभग 1 करोड़ 35 लाख मजदूरों का अपने गृह राज्यों में वापस आने का अनुमान लगाया। इस दौरान लगभग 1 करोड़ 46 लाख मजदूर गंतव्य राज्यों को छोड़कर गये। इन दोनों आंकड़ों में मामूली अंतर है। अलग-अलग स्रोतों से संग्रह किये गये गृह –राज्य वापस आने वाले और गंतव्य राज्यों को छोड़कर जाने वाले मजदूरों की संख्या

Courtesy: lawnn.com

अदृश्य

लगभग एक समान है। इससे आंकड़ों के सही होने और आंकड़ों का सटीक विश्लेषण करने के बारे में पता चलता है।

प्रवासी मजदूरों का राज्य-वार आंकड़ा मौसमी पलायन के पैटर्न के बारे में जानकारी से मेल खाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश के पूर्वी हिस्सों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से सबसे ज्यादा संख्या में मजदूर पलायन करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात पलायन करने वाले मजदूरों के लिए दो प्रमुख गंतव्य राज्य हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पंजाब और दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना प्रमुख गंतव्य राज्य हैं।

कोविड लॉकडाउन के पहले चरण में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को प्रवासी मजदूरों की संख्या के सूचक के रूप में उपयोग करने की कई सीमायें है। इनमें से कुछ तो बहुत स्पष्ट हैं और कुछ के बारे में आंकड़ों का संकलन करने के बाद पता चला। यात्रियों में प्रवासी मजदूरों के अलावा दूसरे लोग भी शामिल थे। लॉकडाउन के समय कई सारे प्रवासी मजदूरों के गंतव्य में स्के रहने की संभावना है। आंकड़ों को देख कर ऐसा लगता है कि कम दूरी की यात्रा करने वाले और एक ही राज्य में एक जगह से दूसरी जगहों पर यात्रा करने वालों की संख्या इनमें परिलक्षित नहीं होती। आमतौर पर प्रवासी खेत मजदूर इन्ही श्रेणियों में शामिल हैं। पहली बार लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद भारी संख्या में मजदूरों का पलायन शुरू हुआ। लेकिन ये संख्या भी इन आंकड़ों में परिलक्षित नही हो रही है।

इस अध्ययन में फील्ड में काम करने वाली संस्थाओं और शोध संगठनों का सहभागी नेटवर्क बनाना जरूरी था। सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन (सीएलआरए) ने पलायन के स्रोत राज्यों और पलायन गंतव्य में काम करने वाले ऐसे संगठनों को अध्ययन के बारे में लिखा। आठ राज्यों में काम करने वाले सात संगठनों ने इस अध्ययन में रुचि दिखाई। इनमें बिहार और दिल्ली में कार्यरत ग्राम वाणी, केरल की सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड इनक्लूसिव डेवलपमेंट, पार्टनरिंग होप इन टू एक्शन (पीएचआईए) फ़ाउंडेशन, झारखंड, महाराष्ट्र की यूथ फॉर यूनिटी एंड एक्शन (युवा), महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की समाज प्रगति सहयोग और तमिलनाडु से कम्यूनिटी अवेयरनेस रिसर्च एंड एडुकेशन ट्रस्ट (सीएआरइ-टी) शामिल है।

हम आने वाले वर्षों में मानचित्र पर लगातार काम करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। आंकडों से उभरी प्रमुख खामियों को दुरुस्त करने की कोशिश की जायेगी। इनमें गृह-राज्य के अंदर कम दूरी पर पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या का आंकलन करना, मध्य पश्चिम भारत में पलायन के प्रमुख बड़े स्रोत आदिवासी पट्टी की मैपिंग करना और मौसमी प्रवासियों का राज्य स्तरीय सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार करना और उनका लिंग वार आंकड़ा जुटाना शामिल है।

अदृश्य

6 . अदृश्य, CLRA 2022

अदृश्य

अध्याय 1

भूमिका

भारत का आर्थिक विकास उसके बहुसंख्यक मेहनतकशों के लिए सुरक्षित, नियमित और सम्मानजनक रोजगार देने में असफल रहा है। आज भारत की अर्थनीति के कई सारे क्षेत्र खासकर श्रम बहुल निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और ईंट-भट्टा का काम मुख्यतःमौसमी प्रवासी मजदूरों के सहारे ही चलते हैं। यहाँ तक की विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी प्रवासी मजदूरों का बोलबाला है। कोविड महामारी के समय देश के औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्रों से भारी संख्या में मजदूरों का वापस अपने गाँव की ओर लौटना एक बार फिर से असंगठित क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों की सबसे ज्यादा असुरक्षित स्थिति को सामने ले आता है। मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों की सटीक संख्या के बारे में आंकड़े नहीं होना प्रवासी मजदूरों के असुरक्षित होने के पीछे एक प्रमुख कारण है। इस जानकारी के अभाव में सरकार महामारी के समय जल्दबाज़ी में तालाबंदी का फैसला करते समय इस फैसले के संभावित प्रभाव का सही आंकलन नहीं कर पाई।

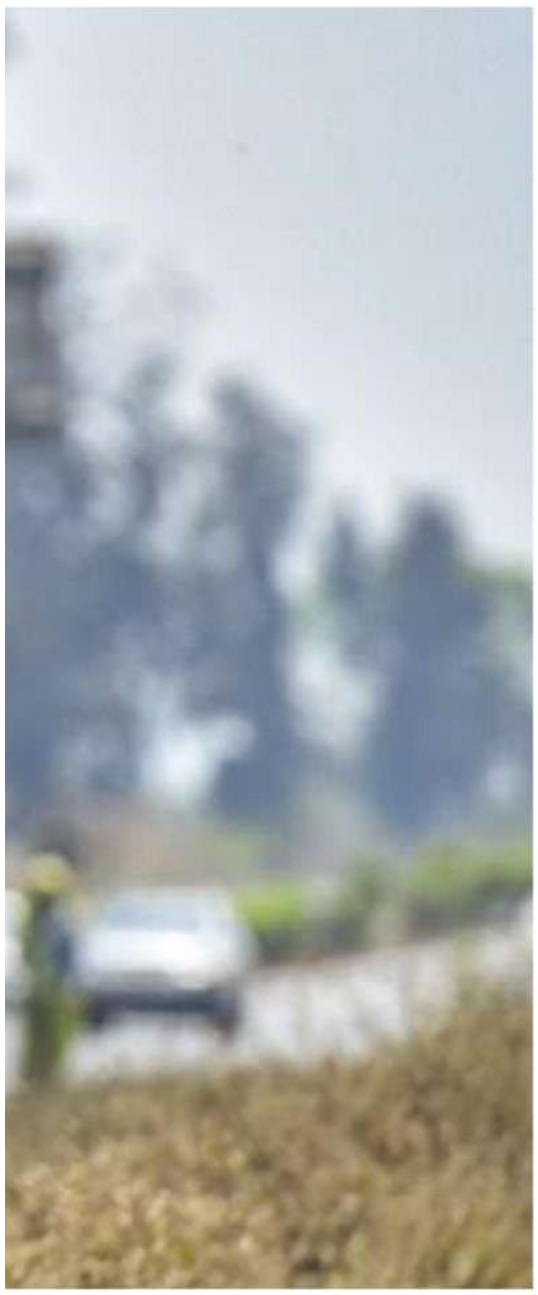

Courtesy: Business Standard

कुछ समय से शोध कर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान मौसमी पलायन पर गया है। कई शोधकर्ता और संगठन मौसनी पलायन का मौजूदा डाटाबेस का उपयोग करके प्रवासी मजदूरों की संख्या का आंकलन करने का काम कर रहे हैं। इस तरह का काम राज्यों के स्तर पर भी हुआ है। इसमें 2008 में एनएसएसओ द्वारा मौसमी पलायन पर किए गए विशेष चक्र का आंकड़ा भी शामिल है। इस अध्ययन के सैद्धान्तिक नोट्स में इन अध्ययनों और उनसे निकले निष्कर्षों का जायजा लिया गया है। इन आंकड़ों से शोधकर्ताओं के आंकलन में बड़ा अंतर दिखता है।

श्रम बल के सबसे ज्यादा असुरक्षित और सबसे बड़ी तादाद के बारे में आंकड़े नहीं होने के कारण इस मानचित्र को बनाने की जरूरत है। आंकड़े नहीं होने के कारण सरकार की नीतियों में इस तबके की जरूरतों की उपेक्षा की जाती है। मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों का डाटा बेस बनाने की जरूरत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार की नीतियों में प्रवासी मजदूरों की समस्या और चिंताओं को शामिल करने के लिए डाटा बेस का महत्व बहुत ज्यादा है। कोविड महामारी के बाद से कई राज्य सरकारों ने मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों की सुध लेने और उनके लिए आवास व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्षेत्र में कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की। लेकिन इन नीतियों को कारगर रूप से लागू करने के लिए गुणात्मक रूप से बेहतर आंकडे की जरूरत है। बहुत सारी संस्थाएं इन आंकड़ो का उपयोग प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए कर सकती हैं। नगरपालिका जैसी सरकारी संस्था इस आंकड़े का उपयोग प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर आवास को सुनिश्चित करने और उन्हें पीने का साफ

पानी मुहैया करने और मजदूर आबादी वाली जगहों पर साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है। इसी तरह से रेल और राज्य परिवहन निगम पीक सीजन में मजदूरों द्वारा यात्रा करने के मद्देनजर सेवा मुहैया कर सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समेकित बाल विकास योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग प्रवासी मजदूरों को बेहतर सेवाएँ मुहैया करा सकते हैं और श्रम विभाग श्रम कानूनों को लागू कर सकता है। नागरिक समाज संगठन डाटा बेस का उपयोग मजदूर समुदाय को कानूनी तथा कल्याणकारी सेवा मुहैया करने के लिए और उन्हे जागरूक करने के लिए कर सकता है।

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन ने मौसमी प्रवासी मजदूरों के बारे में सूचना जुटाने और उन्हें इकट्ठा करने की पहल करने का प्रस्ताव किया है और इसे भारत में मौसमी पलायन का मानचित्र बनाने की पहल कहा है। इस मानचित्र में देश तथा राज्यों के स्तर पर मौसमी पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या का वृहद आंकलन होना चाहिए और इसमें पूरे देश के मुख्य पलायन स्रोतों को चिन्हित किया जाना चाहिए।

इस काम के सैद्धान्तिक नोट्स को साझा किया गया है और इसे इस नोट्स के साथ संलग्न किया गया है। इस काम को शुरू करने के लिए मौजूदा रिपोर्ट में पहले चरण के कुछ निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है।

अदृश्य

Courtesy: Newsclick.in

इस भूमिका के बाद दूसरे अध्याय में मौसमी पलायन की परिभाषा (इस अध्ययन के अनुसार),मौसमी पलायन से संबन्धित साहित्य की समीक्षा और भारत के संदर्भ में मौसमी पलायन की परिघटना के बारे में समझ को लेकर चर्चा की गई है। तीसरा अध्याय अध्ययन पद्धति के बारे में है जिसमें जुटाए गए और मिलान किए गए आंकड़ों के स्रोतों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, साथ ही इन आंकड़ों को अलग-अलग राज्यों के नागरिक समाज संगठनो के द्वारा परीक्षण के बारे में और जुटाये गए आंकड़ों की सीमाओं के बारे में चर्चा की गई है। चौथा अध्याय इस अध्ययन का सबसे अहम हिस्सा है। इस अध्याय में मुख्य निष्कर्षों और टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में राज्य और देश के स्तर पर कोविड 19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के पहले चरण में जो मजदूर अपने काम की जगहों (गंतव्यों) से रवाना हुए और जो मजदूर वापस अपने गृह-राज्यों में लौटे उनके समेकित आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में केस स्टडी को भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें राज्य संबन्धित आंकड़े दिए गए है। ये आंकड़ें मौसमी पलायन के अलग –अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की केस स्टडी दी गई है। केरल एकमात्र राज्य है जहां उपलब्ध अध्ययन सामग्री के आधार पर पूरे राज्य में मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों की प्रोफ़ाइल मौजूद है। उड़ीसा के अध्ययन में राज्य के चार जिलों के चार ब्लॉकों के मौसमी प्रवासी मजदूरों की प्रोफ़ाइल मौजूद है। कोविड महामारी के समय जुटाये गए उत्तर प्रदेश के आंकड़ों से राज्य के पलायन की क्षेत्रवार स्थिति का पता चलता है। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों से राज्य से मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों के स्रोत (जिला,ब्लॉक) और मजदूरों के गंतव्य राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। समापन अध्याय आंकड़े जुटाने और उसका मिलान करने के काम से उभरे ज्ञान और पैटर्न पर चर्चा करता है।.यह अध्याय आगे के संभावित रास्ते पर संक्षिप्त चर्चा के साथ समाप्त होता है।

अध्याय 2

Courtesy: WPC

मौसमी पलायन की परिभाषा और मौसमी पलायन करने वालों की तादाद का आंकलन : साहित्य की समीक्षा

10 . अदृश्य, CLRA 2022

अदृश्य

लेखकों के आंकलन के अनुसार **गैर-कृषि क्षेत्र में काम करने वाले 7-8 करोड़** मजदूरों का लगभग आधा **यानी 3 करोड़ 50 लाख से लेकर 4 करोड़** मौसमी प्रवासी मजदूर हैं और कृषि मजदूरों का लगभग **10 प्रतिशत (लगभग 90 लाख)** मौसमी प्रवासी मजदूर है।

मौसमी पलायन की परिभाषा

इस तरह का काम शुरू करने से पहले मौसमी पलायन को परिभाषित करना जरूरी है। सैद्धान्तिक नोट्स में इसे किया गया है और इसे यहाँ दोबारा प्रस्तुत किया गया है।

लोगों के अलग-अलग समूह अलग-अलग कारणों से और अलग-अलग समयों पर पलायन करते हैं। प्रवासी मजदूर अलग-अलग समयों में अलग-अलग पलायन प्रवाह का हिस्सा बनते हैं। पलायन करने वालों में सामाजिक–आर्थिक विविधता झलकती है। पलायन करने वालों में जाति, जमीन की मात्रा, उम्र, शिक्षा, लिंग, परिवार का आकार और स्वरूप और उपभोग के स्तर सहित तमाम विषयों में विविधता देखने को मिलती है। इसलिए शुरू में ही इसे स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम यहाँ किस तरह के पलायन के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

पलायन पर अध्ययन करने वालों में अग्रणी प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव तीन तरह के पलायन की बात करते हैं (2011)। इनमें स्थाई पलायन, अर्ध-स्थाई या लंबे समय के लिए चक्राकार पलायन और मौसमी या चक्राकार पलायन शामिल है।

कोई व्यक्ति या परिवार स्थाई रूप से अपना मूल निवास छोड़कर स्थाई रूप से दूसरी जगहों (राज्य, जिला , शहर) पर बस सकता है। इसे हम स्थाई पलायन कह सकते हैं। लेकिन कोई लंबे समय के लिए दूसरी जगह पर बस जाता है और अपने मूल निवास पर परिवार के सदस्यों को या संपत्ति छोड़कर जाता है और अपने मूल निवास पर वापस आने का इरादा रखता है। इस तरह का पलायन तब होता है जब गंतव्य पर मिलने वाला रोजगार बहुत असुरक्षित हो या गंतव्य में स्थाई रूप से बस जाने की कीमत बस जाने से मिलने वाले फायदे से ज्यादा हो। इस तरह के पलायन को अर्ध स्थाई या चक्राकार पलायन कह सकते हैं। व्यक्ति या समूह अस्थाई समय के लिए अलग-अलग जगहों पर पलायन करता है या एक ही गंतव्य पर पलायन करता है तो हम उस व्यक्ति या समूह को मौसमी या चक्राकार पलायन करने वाला कह सकते हैं (श्रीवास्तव , 2011, पृष्ठ 10)।

यह अध्ययन मुख्य रूप से स्वल्प-अवधि के मौसमी चक्राकार पलायन करने वाले और अर्ध-स्थाई प्रवासियों को लेकर है। ऐसे दो तरह के प्रवासी ज्यादा असुरक्षित हैं। कोविड महामारी के समय भारी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस अपने स्रोत की ओर लौट रहे थे , इनमें अधिकांश इन दोनों तरह के प्रवासी थे। स्थाई प्रवासी गंतव्य में स्थाई रूप से बस जाने के कारण इन दोनों तरह की श्रेणी में नहीं आते।

मौसमी पलायन की व्यापकता:

पलायन के बारे में अधिकांश आंकड़े सेंसस और नेशनल सेंपल सर्वे ऑर्गनाइज़ेशन (एनएसएसओ) से मिलते हैं। हालांकि इन दोनों स्रोतों से मिलने वाले आंकड़े मौसमी पलायन को पर्याप्त रूप से प्रतिविंवित नहीं करते हैं। इन आंकड़ों से स्थाई रूप से पलायन करने वाले लोगों की संख्या और कुछ हद तक अर्ध-स्थाई पलायन करने वालों की संख्या मिलती है। एनएसएसओ ने 55 राउंड (1999-2000) और 64 राउंड (2007-2008) के सर्वे में पलायन के अलग-अलग पहलुओं जिसमें मौसमी पलायन भी शामिल है,के बारे में आंकड़े जुटाने की कोशिश की है। 64 राउंड के सर्वे में मौसमी पलायन को पिछले 365 दिनों में 30 दिनों से

लेकर 6 महीने तक को पलायन के रूप में परिभाषित किया है। पूरे भारत के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कम समय के लिए 1.7 प्रतिशत लोग पलायन करते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए यह न के बराबर है (1 प्रतिशत से कम)। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों में यह लगभग 3 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 1 प्रतिशत से कम है (एनएसएसओ 2008)। कम समय के लिए लगभग 1 करोड़ 52 लाख मजदूर पलायन करते हैं और इसमें 1 करोड़ 29 लाख पुरुष हैं (85.1 प्रतिशत)। पलायन करने वालों में 1 करोड़ 39 लाख मजदूरों ने ग्रामीण क्षेत्र से पलायन किया (सेंसस के आंकड़ो के हिसाब से ऍडजस्ट करके यह आंकड़े आए हैं)। स्वतंत्र शोध करने वालों ने इस रिपोर्ट में मौसमी पलायन को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं कर पाने को लेकर आलोचना की। मौसमी पलायन की अवधि कई बार 6 महीने से ज्यादा होती है। इसमें कई बार पूरा परिवार एक साथ पलायन करता है। ईंट-भट्टा के काम के लिए मौसमी पलायन में ये दोनों पहलू दिखते हैं।

श्रीवास्तव के आंकलन के अनुसार लगभग 4 करोड़ 50 लाख से लेकर 5 करोड़ लोग कम समय के लिए मौसमी पलायन करते हैं।

Courtesy: globalgiving.org

देश के स्तर पर रोजगार का आंकड़ा दिखाता है कि 2009-2010 में लगभग 9 करोड़ 14 लाख अनियमित मजदूर कृषि क्षेत्र में और 5 करोड़ 86 लाख मजदूर गैर-कृषि क्षेत्र में काम करते थे। इनमें 3 करोड़ 20 लाख मजदूर सिर्फ निर्माण उद्योग में ही काम करते थे। बड़े शहरों और उसके आस-पास के क्षेत्रों में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश मजदूर प्रवासी मजदूर हैं। कुछ

अदृश्य

अध्ययनों के अनुसार 90-95 प्रतिशत अनियमित मजदूर प्रवासी हैं। हालांकि गाँव और छोटे शहरों में यह प्रतिशत कम होगा। मोटे तौर पर लेखकों के आंकलन के अनुसार गैर-कृषि क्षेत्र में काम करने वाले 7-8 करोड़ मजदूरों का लगभग आधा यानी 3 करोड़ 50 लाख से लेकर 4 करोड़ मौसमी प्रवासी मजदूर हैं और कृषि मजदूरों का लगभग 10 प्रतिशत (लगभग 90 लाख) मौसमी प्रवासी मजदूर है। चक्राकार पलायन करने वाले स्वरोजगार में लगे लोगों और नियमित दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या का आंकलन करना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दसियों लाख चक्राकार पलायन करने वाले लोग या तो स्वरोजगार में लगे हैं या अनौपचारिक क्षेत्र में पीस रेट या दिहाड़ी पर अनियमित मजदूर के रूप में काम करते हैं। यह अनौपचारिक गैर-कृषि क्षेत्र की अर्थनीति में मजदूरी पर या स्वरोजगार में काम करने वाले लोगों का अच्छा–खासा हिस्सा है (श्रीवास्तव 2011,पृष्ठ 26)।

ग्रामीण भारत के लोग गुजर-बसर करने के लिए मौसमी और चक्राकार पलायन करते हैं। गुजर-बसर करने की उनकी रणनीति का यह सबसे टिकाऊ हिस्सा बन गया है (देशिंगकर एंड स्टार्ट, 2003)। हालांकि भारत में मौसमी पलायन का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन कई लघु अध्ययनों ने रोजगार के लिए मौसमी पलायन करने वालों की बढ़ती संख्या और समूचे मजदूर आबादी में ऐसे मजदूरों की बढ़ती भागीदारी को दिखाया है। ग्रामीण भारत से लाखों की संख्या में दर-बदर होते गरीब लोग,महिला और बच्चे हर साल रोजगार की तलाश में और किसी तरह से अपना पेट भरने के लिए ठसाठस भरी ट्रेन,बस, ट्रक और कई बार पैदल अपनी जिंदगी की जमा पूंजी की गठरी को सर पर रखकर पलायन करते है (मंदर एंड सहगल, 2012)। श्रम प्रधान ईंट-भट्टे के काम में और ज्यादा उपजाऊ कृषि क्षेत्र में मजदूरों की सीजनल मांग ज्यादा होने के कारण इनमें बड़ी संख्या में मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों को काम मिल जाता है। ग्रामीण मजदूरों के राष्ट्रीय आयोग ने प्रवासी मजदूरों को काम पर रखने वाले उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराई गई संख्या के आधार पर सिर्फ ग्रामीण भारत में 1 करोड़ मौसमी या चक्राकार पलायन करने वाले मजदूर होने का आंकलन किया है। इनमें 45 लाख अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर हैं। कई गैर-सरकारी स्रोतों के आंकलन के अनुसार यह संख्या 3 करोड़ के आस-पास है (स्मिता,2008)।

बाद के अध्ययनों में प्रवासी मौसमी मजदूरों की संख्या बढ़ती हुई दिखती है। एनएसएसओ के 64 राउंड के आंकड़ों में मौसमी प्रवासियों की संख्या 55 राउंड के आंकड़े से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि दोनों राउंड में मौसमी प्रवासियों की परिभाषा थोड़ी अलग है। देशिंगकर (2008) का आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के गांवों में 2000-2001 और 2006-2007 का अध्ययन मौसमी प्रवासियों की संख्या बढ़ने का इशारा करता है। सर्वे के दौरान मौसमी पलायन में शामिल परिवारों का प्रतिशत 40 से बढ़कर 52 प्रतिशत हो जाता है। मोस्से (1997) के भील गांवों के अध्ययन में भी मौसमी पलायन बढ़ने की रिपोर्ट है।

जॉन ब्रेमन ने मौसमी पलायन की परिघटना पर बहुत पहले अध्ययन किया और उन्होंने इस तरह के प्रवासियों को "दर-बदर मजदूर" कहा। ब्रेमन का आंकलन है कि ग्रामीण भारत का कम से कम एक चौथाई मजदूर इस श्रेणी का है। ग्रामीण भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय 45 करोड़ से 47 करोड़ 50 लाख लोग हैं और प्रवासी मजदूर इसका एक अहम हिस्सा है (ब्रेमन 2020)।

अध्याय 3

Courtesy: The News Minute

अध्ययन पद्धति

अदृश्य

पहले साल में अध्ययन टीम ने मुख्य रूप से कोविड लॉकडाउन के पहले चरण में अपने राज्यों में वापस आने वाले मजदूरों के आंकडे पर ध्यान केन्द्रित किया। इन आंकड़ों को राज्य स्तरीय वृहद आंकड़े (जहां उपलब्ध हो) और जिला/उप-जिला स्तरीय लघु अध्ययन के आंकड़ों के साथ मिलाया गया।

कोविड के समय जुटाए गए आंकड़े : मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए सीएलआरए की टीम ने कोविड महामारी के समय यात्रा के दौरान गंतव्य में फंसे मजदूरों और अपने मूल निवास पर लौट आने वाले मजदूरों के आंकडों का उपयोग किया। यह कहना तार्किक है कि रास्ते में फंसे मजदूर और ट्रेन, बस, सड़क परिवहन के अलग-अलग साधनों और पैदल चलकर अपने मूलनिवास पर पहुँचने वालों में अधिकांश लोग मौसमी पलायन करने वाले मजदूर थे या अर्ध स्थाई रूप से चक्राकार पलायन करने वाले मजदूर थे । अध्ययन पद्धति द्वारा चिन्हित ये दूसरे और तीसरे तरह के प्रवासी थे।

कोविड महामारी के पहले चरण में गंतव्य से मजदूरों के पलायन के आंकडे के तीन प्राथमिक स्रोत हैं।

1. श्रमिक ट्रेन का आंकड़ा : भारतीय रेल द्वारा चलाई गई विशेष श्रमिक ट्रेन की संख्या का जो आंकड़ा पेश किया है, उस पर भरोसा किया जा सकता है।

2. गंतव्य से अपने राज्य की ओर जाने के लिए इच्छुक मजदूरों का पंजीकरण: गंतव्य तथा स्रोत दोनों राज्यों के पास गंतव्य में फंसे रहने वाले उन मजदूरों का आंकड़ा था जो वापस अपना राज्य आना चाहते हों और जो गंतव्य राज्य छोड़ना चाहते हों। कई कारणो से इन आंकड़ों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि हो सकता है कई मजदूरों ने पंजीकरण नहीं करवाया हो या कई मजदूरों ने दोबारा पंजीकरण करवाया हो।

3. अपने गृह राज्य में वापस आने वाले मजदूरों का पंजीकरण: लॉकडाउन की घोषणा के बाद गंतव्यों से मजदूरों के अपने घरों की ओर लौटने के पहले चरण के बाद सभी राज्यों ने राज्य में वापस आने वाले मजदूरों के लिए व्यापक इंतजाम किए। अलग-अलग जगहों पर पुलिस चेक पोस्ट लगाए गए। कोंरेंटाइन सेंटर बनाए गए जहां राज्य में आने वाले मजदूरों को अपने घर की ओर रवाना करने के पहले ठहराया गया। उम्मीद है कि इनसे मिलने वाले आंकड़े भरोसे लायक होंगे।

ये आंकड़े लोगों के सामने कई स्रोतों से आए, जैसे संसद और राज्य विधानसभाओं में पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार के उत्तर के रूप में , सरकार द्वारा जनहित याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट और उच्च अदालतों में सरकारों के हलफनामे के रूप में और सरकार के अलग-अलग विभागों द्वारा मीडिया को दिए गए बयान के रूप में आए।

-नीचे दिये गए स्रोतों से संक्षिप्त नोट तैयार किए गए:

1) दिनांक 8 मार्च, 2021 को लोकसभा में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक कानून के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का जवाब।
2) श्रमिक ट्रेनों के बारे में दिनांक 16 सितंबर, 2020 को लोकसभा में रेल मंत्रालय से पूछे गए सवालों का जवाब।
3) श्रमिक ट्रेनों के बारे में दिनांक 3 फरवरी , 2021 को लोकसभा में रेल मंत्रालय से पूछे गए सवालों का जवाब।
4) प्रवासी मजदूरों की समस्याएं और बदहाली पर दिनांक 28 मई, 2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान याचिका में सरकार का जवाब।
5) गुजरात उच्च अदालत में उसके द्वारा स्वतः संज्ञान रीट याचिका (C/WPPIL/42/2020) में दिनांक 29 मई, 2020 में गुजरात सरकार का जवाब।
6) कोविड लॉकडाउन के पहले चरण में समाचार माध्यमों की खबरें, लेख और रिपोर्टिंग।

सीमाएं

कोविड महामारी के दौरान आए मौसमी पलायन के आंकड़ों का उपयोग करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इन आंकड़ों में कई प्रवासी मजदूर छूट गए होंगे और कुछ ऐसे लोगों को भी इन आंकड़ों में शामिल किया गया होगा जिन्हें मौसमी प्रवासी नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में नीचे चर्चा की गई है। इनमें कई श्रेणी आपस में घुली-मिली है।

छात्रों, तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को भी आंकड़े में शामिल किया गया : लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूरों के अलावा छात्र, तीर्थ यात्री और पर्यटक भी गंतव्य से अपने स्रोत की ओर लौटे।

अधिकांश राज्यों में लौटने वालों का पंजीकरण करते समय इन श्रेणी के लोगों का अलग से पंजीकरण नहीं किया गया। इसलिए प्रवासी मजदूरों का अलग से आंकड़ा नहीं है। सिर्फ कर्नाटक के एक स्रोत से मालूम पड़ता है कि पंजीकरण करने वालों में 80 प्रतिशत प्रवासी मजदूर थे।

प्रवासी मजदूरों का वो हिस्सा जो अपने गृह राज्य नहीं लौटा : लॉकडाउन के समय कुछ प्रवासी मजदूरों के प्रवास में रह जाने की संभावना रही। केरल में ऐसा ही हुआ जहां श्रमिक ट्रेनों के आंकड़े और प्रवासी मजदूरों की संख्या में कोई मेल नहीं है। केरल में प्रवासी मजदूरों के रहन-सहन की बेहतर स्थिति के कारण प्रवासी मजदूरों में घर वापस जाने की हड़बड़ी नहीं देखी गई।

लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद पलायन की पहली लहर : 24 मार्च को 21 दिन के लिए पहले लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर सड़क पर निकल चुके थे। ट्रेन सेवा बंद हो जाने के कारण मजदूरों ने सड़क का रास्ता लिया। इनमें से कुछ मजदूर सड़क परिवहन के कई तरह के वाहनों की मदद से घर की ओर चल पड़े थे, लेकिन कुछ मजदूरों ने लंबी दूरी की यात्रा पैदल ही पूरी की। वापस अपने घर पहुँचने के लिए सड़क पर उतरने वाले अधिकांश मजदूरों ने शायद कम समय के लिए पलायन किया था। ये ऐसे मजदूर थे जिनका काम चौपट हो गया था, जहां बहुत जल्दी काम शुरू होने की संभावना बहुत कम थी और जहां मजदूर काम की जगहों पर बहुत असुरक्षित और अस्थाई तौर से रह रहे थे। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले और कई सारे फैक्ट्री मजदूर इस तरह की श्रेणी के थे। इनमें अधिकांश मजदूर अपने गृह राज्य पहुँचने में सफल हुए। उस समय तक अपने गृह-राज्य वापस आने वाले मजदूरों का पंजीकरण शुरू भी नहीं हुआ था। इसलिए इन मजदूरों का आंकड़ा कोविड महामारी के समय घर वापस आने वाले मजदूरों के आंकड़े में शामिल नहीं हुआ होगा।

राज्य के अंदर और कम दूरी के प्रवासी: कई राज्यों में लोग भारी संख्या में राज्य में ही एक जगह से दूसरी जगहों पर पलायन करते हैं और कई प्रवासी अपने मूल निवास से कम दूरी पर पलायन करते हैं। यह खासकर उन राज्यों के लिए सच है जहां राज्य में या राज्य से सटे राज्यों में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है। गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे दो राज्य हैं जो इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं। आदिवासी समुदाय में मौसमी पलायन करने का बहुत चलन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आस-पास के जिलों से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करके आते हैं और यह तबका विनिर्माण क्षेत्र से लेकर सेवा क्षेत्र में काम करता है। इन मजदूरों का अपने लिए अपने द्वारा इंतजाम किये गए वाहनों और पैदल चलकर घर पहुँचना संभव हुआ होगा। इन लोगों का पंजीकरण भी नहीं हुआ होगा। लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद यह संभव हुआ होगा और उसके बाद भी कुछ मजदूर ऐसे रास्ते से अपने घर पहुंचे होंगे जहां पुलिस की गश्त नहीं थी और इनका पंजीकरण नहीं हुआ होगा।

खेतिहर मौसमी प्रवासी : खेती के पीक सीजन में बड़े पैमाने पर मजदूर मौसमी पलायन करते हैं। मध्य तथा प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः कम दूरी से लोग खेती के काम के लिए पलायन करते हैं। यह कहा जा सकता है कि नदी घाटियां और सिंचित कमांड क्षेत्र में खेती में बुवाई और कटाई के काम के लिए बड़ी मात्रा में मौसमी पलायन होता है। खेती के पीक सीजन में जब रबी की फसल की कटाई का काम चल रहा था तब देश में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के तुरंत बाद पलायन की पहली लहर में जरूर कुछ लोग वापस अपने घर चले गये होंगे। कुछ लोग सीजन का काम खतम होने का इंतजार कर रहे होंगे और उसके बाद अगले सीजन के काम के लिए वहीं रुक गये होंगे।

हमने पहले ही बताया है कि कोविड महामारी के समय जुटाए गए आंकड़ों को दो अन्य आंकड़ों के सेट से पुष्ट किया गया है।

राज्य स्तरीय मेक्रो डेटा का सेट: मौसमी पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या का आंकलन करने का काम तमिलनाडु, केरल और राजस्थान में किया गया। केरल और तमिलनाडु में यह काम राज्य सरकार ने किया जबकि राजस्थान में आजीविका ब्यूरो ने इस काम को अंजाम दिया। केरल की रिपोर्ट मिली है, लेकिन तमिलनाडु की रिपोर्ट नहीं मिली है। वहाँ पंजीकृत प्रवासी मजदूरों की कुल संख्या के बारे में बताया गया है।

जिला और उप जिला स्तर पर सूक्ष्म अध्ययन: पिछले कुछ समय से नागरिक समाज संगठनों और दान-दाता संस्थाओं ने मौसमी

अदृश्य

पलायन की परिघटना पर ध्यान देना शुरू किया है। इनमें से कुछ संगठन अपने काम के क्षेत्र में मौसमी पलायन की मैपिंग करने का काम कर रहे हैं। मौसमी प्रवासी मजदूरों के बारे में सरकारी आंकड़ा नहीं है। उनके विकास के लिए किसी तरह का हस्तक्षेप करने के लिए उनकी मैपिंग करना पहला जरूरी कदम है।

इलाका और शोध संगठनों का नेटवर्क विकसित करना

सीएलआरए इस बात को जानता है कि मौसमी पलायन का मानचित्र बनाने के मकसद को देश में मौसमी पलायन के गंतव्य और स्रोतों में काम कर रहे पूरे राज्य के क्षेत्रीय संगठनों और सहयोगी संगठनों की भागीदारी, समन्वय और समर्थन के बगैर पूरा करना असंभव है। पायलट चरण के लिए सीएलआरए ने मुख्य पलायन स्रोत और गंतव्य के लिए नीचे दिए गए राज्यों का चयन किया है: महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ,उड़ीसा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल,कर्नाटक और तमिलनाडु।

सीएलआरए ने मौसमी पलायन के स्रोत तथा गंतव्य राज्यों में काम कर रहे नागरिक समाज संगठनों को इस काम में हिस्सेदारी करने के लिए आमंत्रित किया। संगठनों के प्रमुखों को इस विषय पर आयोजित होने वाली परामर्श बैठक में शामिल होने, मौसमी पलायन का मानचित्र बनाने के काम में योगदान करने के लिए आमंत्रित किया और उनके साथ इस विषय की अवधारणा नोट्स को भी साझा किया। आठ संगठनों ने आमंत्रण को स्वीकार किया। इन संगठनों के साथ सितंबर महीने में ऑनलाइन परामर्श बैठक की गई। इसके बाद अलग-अलग संगठनों के साथ एक–एक कर राज्यों के आंकड़ों को लेकर चर्चा की गई। इन बैठकों में जिन एजेंडों पर चर्चा हुई वह नीचे दिए गए हैं :

मौसमी पलायन पर साहित्य की समीक्षा करते हुए हमारे द्वारा पाए गए डाटा और आंकड़ो को जाँचना ।

हमारे साथ उनके डाटा को साझा करना या हमें डाटा का स्रोत बताना।

हमारे डाटा में कमी को दुरुस्त करने में हमारी मदद करना ।

हमारी पहल को केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस काम में सहयोगी बनने पर सहमति देने वाले संगठनों की सूची नीचे टेबल में दी गई है –

इस संदर्भ और ऊपर दिये गये शोध पद्धति का अनुसरण करते हुए आगे हम 18 राज्यों के मुख्य निष्कर्षों के बारे में चर्चा करेंगे । ये 18 राज्य देश में मौसमी पलायन के प्रमुख स्रोत और गंतव्य हैं।

टेबल 1: राज्यों के सहभागियों की सूची

क्रम संख्या	राज्य	सहयोगी संगठन
1	बिहार	ग्राम वाणी
2	दिल्ली	ग्राम वाणी
3	झारखंड	पार्टनरिंग होप इंटू एक्शन (पीएचआईए) फ़ाउंडेशन
4	केरल	सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड इनक्लूसिव डेवलपमेंट
5	महाराष्ट्र	युवा, समाज प्रगति सहयोग
6	मध्य प्रदेश	समाज प्रगति सहयोग
7	उड़ीसा	ग्राम विकास
8	तमिलनाडु	कम्यूनिटी अवेयरनेस रिसर्च एजुकेशन ट्रस्ट (सीएआरइ-टी)

अध्याय 4

Courtesy: Scroll.in

निष्कर्ष और टिप्पणी

अखिल भारतीय आंकड़े: पूरे देश के स्तर पर अपने स्रोत राज्यों में लौटने वाले प्रवासियों की संख्या को नीचे दिये गये आंकड़ो से मिलान किया गया::

- सड़क परिवहन: 41लाख (सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान पिटीशन, 2020)
- श्रमिक ट्रेन– 1 मई, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक 4621 श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं। इन ट्रेनों में 63 लाख 19 हजार सवारियों ने यात्रा की (रेल मंत्रालय, 2020)
- श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकडों के अनुसार 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के समय अपने गृह राज्यों में लौटे, इनमें पैदल चलकर लौटने वाले भी शामिल हैं (श्रम और रोजगार मंत्रालय, 2020)।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किये गये आंकड़े के अनुसार कुल 1,14,30,968 मजदूर दूसरे राज्यों से अपने राज्य में वापस आये।

अदृश्य

टेबल 2: प्रवासी मजदूरों की यात्रा (कोविड महामारी के पहले चरण में)			
1	आंध्र प्रदेश	2,00,000[1]	1,73,193[7]
2	बिहार	28,00,000[2]	4,65,766[7]
3	दिल्ली	2,047[3]	6,50,000[2]
4	छत्तीसगढ़	5,26,900[3]	10,85,000[8]
5	झारखंड	9,66,394[4]	2,791[7]
6	कर्नाटक	1,34,438[3]	9,10,000[9]
7	केरल	3,11,124[3]	5,11,980[7]
8	गुजरात	0[3]	23,00,000[2]
9	मध्य प्रदेश	7,53,581[3]	22,454[7]
10	महाराष्ट्र	1,82,990[3]	25,91,573[10]
11	राजस्थान	13,08,130[3]	11,92,290[11]
12	उड़ीसा	10,70,000[5]	77,000[12]
13	पंजाब	5,15,642[3]	17,19,000[13]
14	हरियाणा	1,289[3]	10,93,000[13]
15	तमिलनाडु	1,26,000[6]	6,55,226[7]
16	तेलंगाना	37,050[3]	4,70,768[14]
17	पश्चिम बंगाल	13,84,693[3]	11,075[7]
18	उत्तर प्रदेश	32,49,638[3]	7,23,691[7]
	कुल	**1,35,69,916**	**1,46,54,807**

संसद में पूछे गए सवाल संख्या 2110 का केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने संसद में लिखित जवाब दिया। संसद पटल पर रखे गए जवाब मजदूरों के आंकड़ो के प्रमुख स्रोत हैं। इसमें राज्यों में कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन के पहले चरण में अपने गृह राज्यों में वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों का राज्यवार विस्तृत सूची दी गई। इनमें कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु के आँकड़ो को श्रमिक ट्रेन जैसे ज्यादा भरोसेमंद आंकड़ों की रोशनी में संशोधित किया गया। बिहार में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या को सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान पिटीशन में उद्धृत किया गया। अन्य राज्यों का आंकड़ा राज्यों के श्रम विभाग के पंजीकरण की संख्या से लिया गया।

राज्यों से बाहर जाने वाले मजदूरों का आंकड़ा : टेबल के दूसरे कॉलम में दिए गए आंकड़ों को सरकारी स्रोतों और राज्य सरकारों की रिपोर्ट से लिया गया है। उद्धृत किए गए आंकड़ों के स्रोत नीचे दिए गए हैं:

- दिल्ली और कर्नाटक के लिए राज्य के श्रम विभाग के पंजीकरण के आंकड़े का उपयोग किया गया।
- तेलंगाना के लिए राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा राज्य पुलिस द्वारा मजदूरों के पंजीकरण से लिया।
- छत्तीसगढ़ के लिए राज्य के मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा जारी किए गए आंकड़े को लिया गया।
- सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन में महाधिवक्ता द्वारा उद्धृत किए गए आंकड़े से गुजरात में फंसे रहे प्रवासी मजदूरों की संख्या को लिया गया है।
- दिल्ली, उड़ीसा , पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए राज्यों के पंजीकरण का उपयोग किया गया।
- प्रस्तुत टेबल में केंद्र और राज्य सरकारों के अलग-अलग सूत्रों से कोविड महामारी के पहले चरण में प्रवासी मजदूरों का स्रोतों और गंतव्यों में आने और जाने का आंकड़ा दिया गया है।

आने वालों का आंकड़ा:अपने गृह राज्यों में वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या के बारे में 8 मार्च, 2021 को आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड , केरल , तमिलनाडु , पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पंजीकरण डाटा नहीं रहने के कारण इन राज्यों के आंकड़ों को भारतीय रेल द्वारा चलाए गए श्रमिक ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या के साथ मिलान करके लिया गया। श्रमिक ट्रेनों में यात्रा करने वाले मजदूरों की संख्या और सड़क परिवहन द्वारा यात्रा करने वालों को 1.66:1 के अनुपात

ग्राफ 1 : कोविड 19 लॉकडाउन के समय प्रवासियों की यात्रा

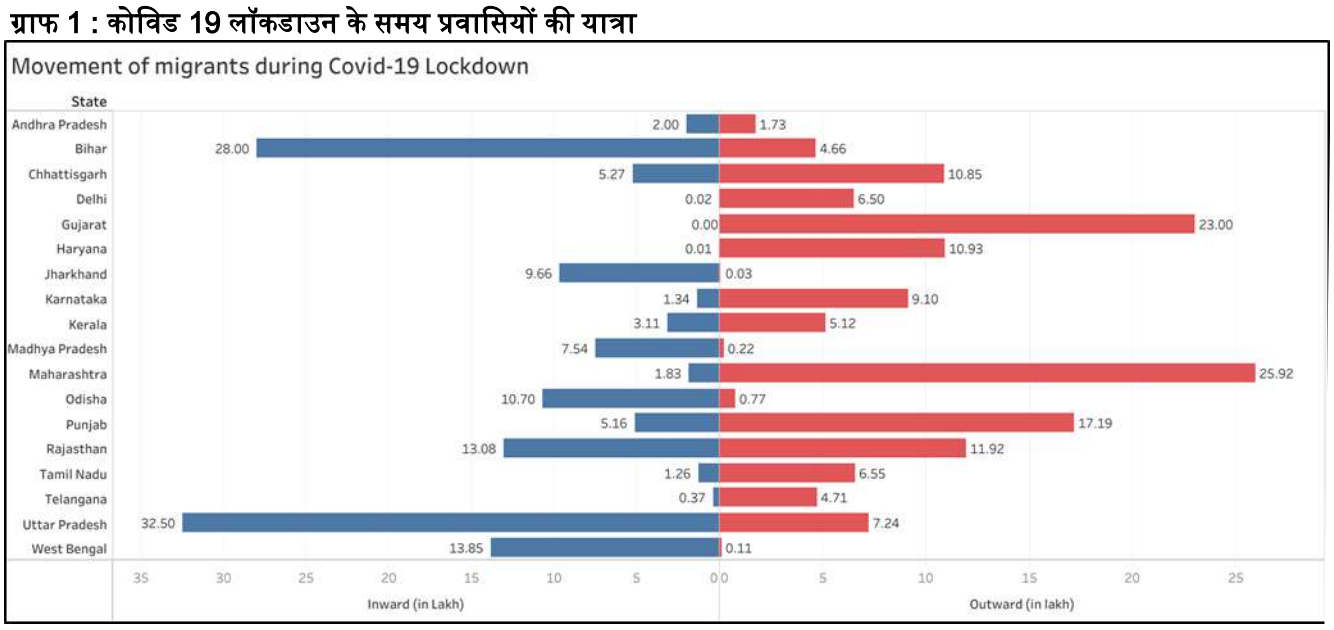

MAP-1

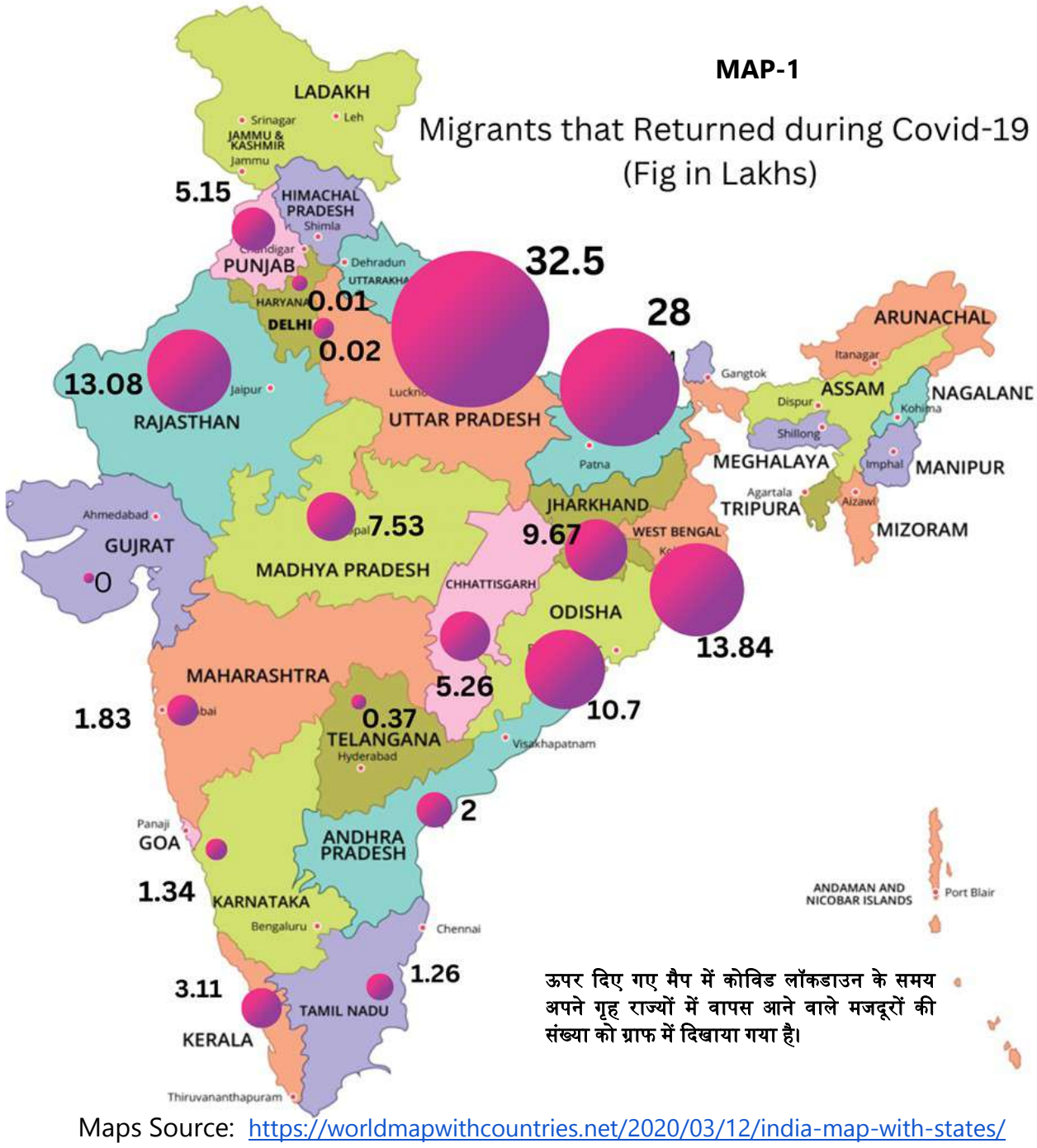

ऊपर दिए गए मैप में कोविड लॉकडाउन के समय अपने गृह राज्यों में वापस आने वाले मजदूरों की संख्या को ग्राफ में दिखाया गया है।

Maps Source: https://worldmapwithcountries.net/2020/03/12/india-map-with-states/

में रखा गया। इस अनुपात का आधार सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन में महाधिवक्ता द्वारा दिया गया जवाब है।

ऊपर दिए गए टेबल और ग्राफ में अध्ययन में शामिल किए गए 18 राज्यों में आने-जाने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या को दिखाया गया है। आंकड़ों के मिलान से पता चलता है कि इन 18 राज्यों में कुल 1,35,69,916 प्रवासी मजदूर लौट आये और इन 18 राज्यों से 1,46,54,807 मजदूर बाहर गये।

हालांकि इन दोनों आंकड़ों में मेल नहीं है, लेकिन दोनों में मामूली अंतर होने से मोटे तौर पर आंकड़ों को भरोसेमंद कहा जा सकता है। कोविड महामारी में लगाए गये लॉकडाउन के समय आने जाने वाले लोगों के आंकड़ों से प्रवासी मजदूरों की संख्या का अनुमान लगाने में कई विषयों पर ध्यान रखना होगा। इसके बारे में शोध पद्धति में विस्तार से चर्चा की गई है। ऊपर दिये गये टेबल में कई ऐसे आंकड़े हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन्हें चिन्हित किया गया है और इस पर आगे चर्चा की गई है।

ऊपर दिए गए मैप में कोविड लॉकडाउन के समय अपने गृह

MAP-2

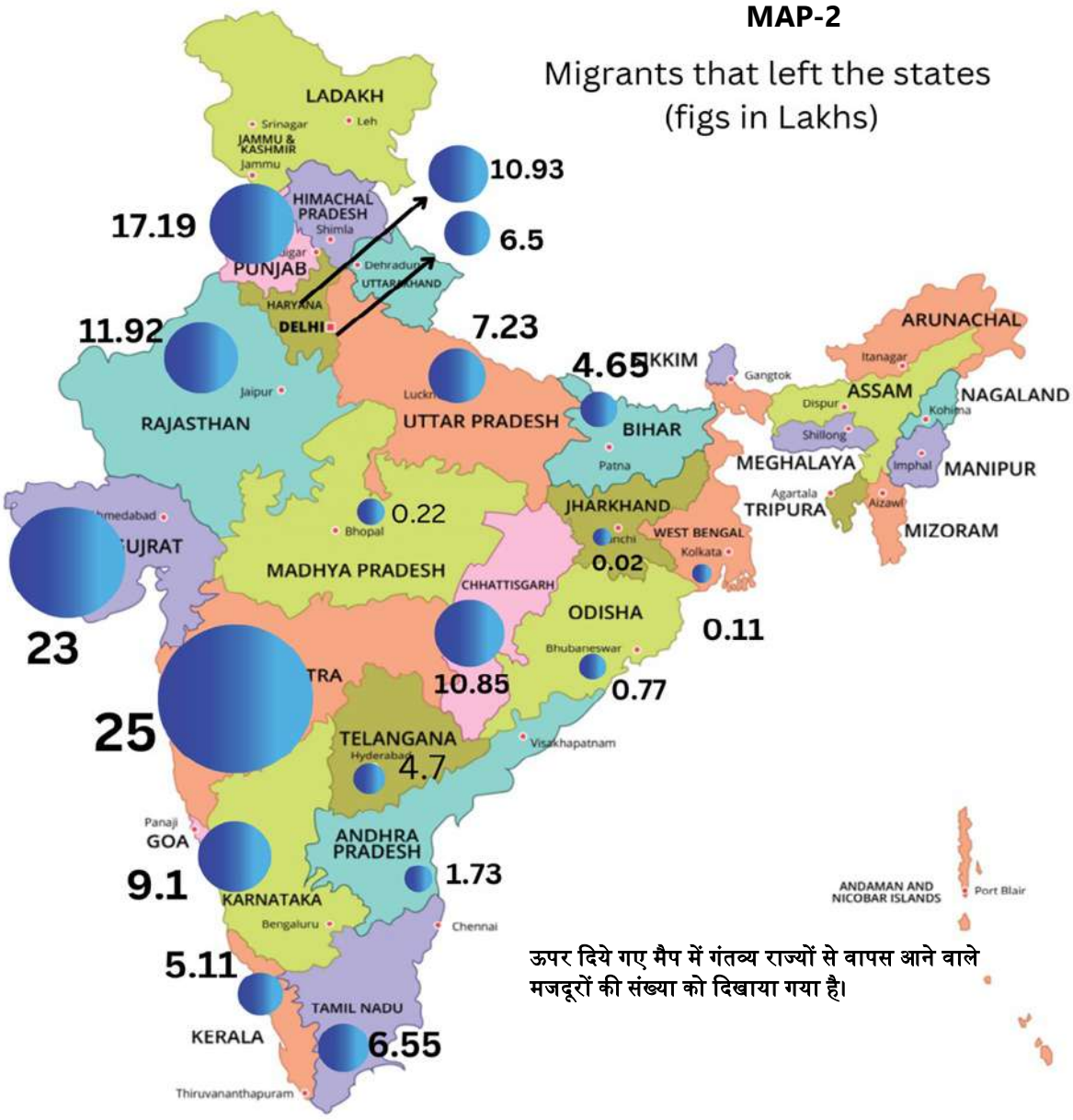

ऊपर दिये गए मैप में गंतव्य राज्यों से वापस आने वाले मजदूरों की संख्या को दिखाया गया है।

Maps Source: https://worldmapwithcountries.net/2020/03/12/india-map-with-states/

राज्यों में वापस आने वाले मजदूरों की संख्या को ग्राफ में दिखाया गया है।

आंकड़ों के मिलान से पता चलता है :

मोटे तौर पर देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से से मजदूरों का पलायन देश के पश्चिमी और दक्षिण हिस्से में होता है, आंकडे भी इसी बात को पुष्ट करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पंजाब ही उत्तर भारत का ऐसा हिस्सा है जहां प्रवासी मजदूर काम करने के लिए आते हैं।

Map 3: Map depicting the movement of migrant workers by Shramik Trains

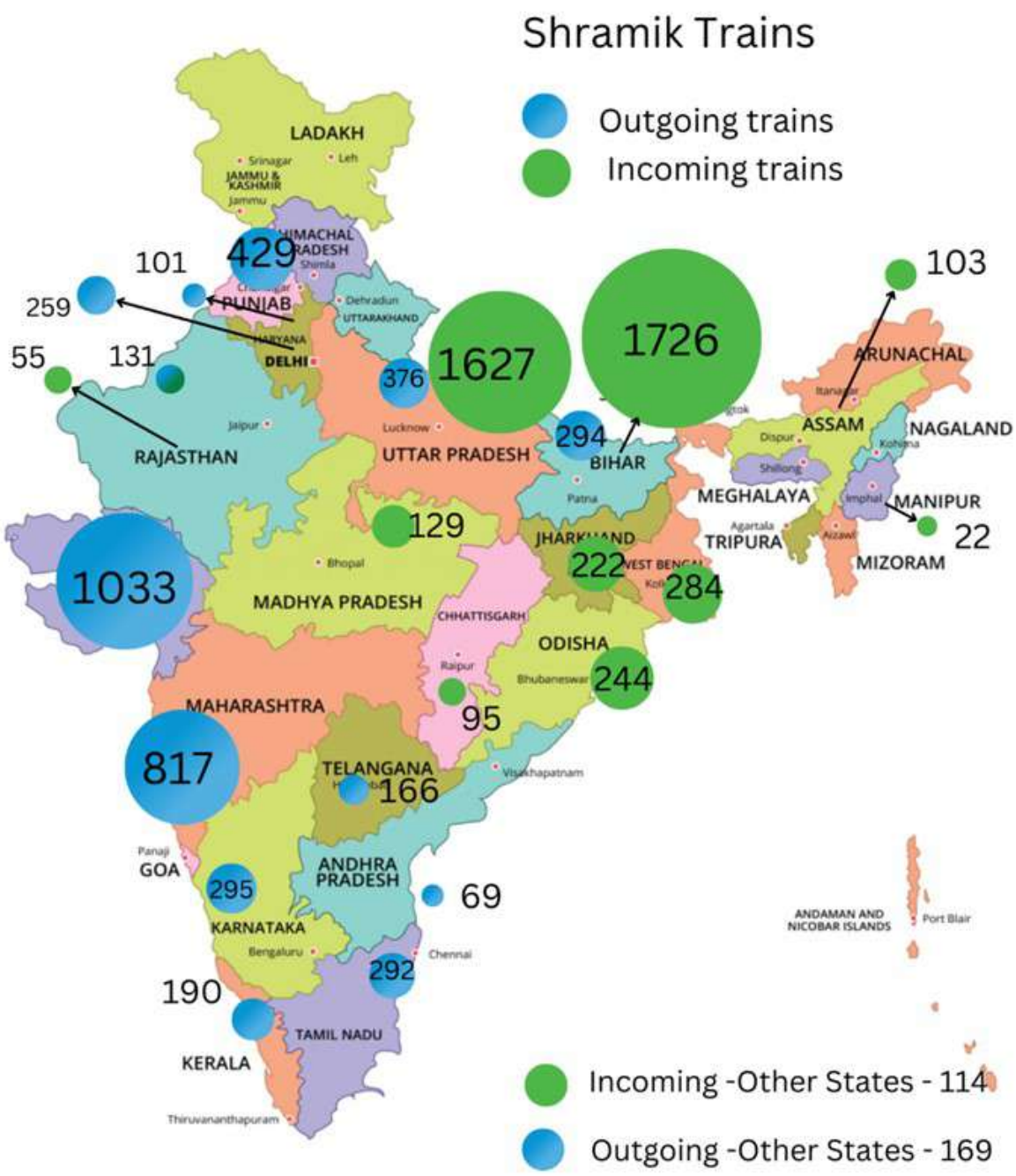

Maps Source: https://worldmapwithcountries.net/2020/03/12/india-map-with-states/

अदृश्य

- कोविड लॉकडाउन के समय दूसरे राज्यों से अपने गृह-राज्यों में वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों में अधिकांश मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उडीसा , झारखंड और मध्य प्रदेश के हैं।
- देश की पूर्वी पट्टी जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उडीसा और छत्तीसगढ़ मौसमी पलायन का सबसे बडा स्रोत है। आगे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के आंकडों का क्षेत्रवार पडताल करते हुए इसका विस्तार किया जायेगा।
- देश में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों का गंतव्य महाराष्ट्र और गुजरात है।
- उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पंजाब दो प्रमुख गंतव्य क्षेत्र हैं।
- हाल के सालों में दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु , कर्नाटक और तेलंगाना महत्वपूर्ण गंतव्य राज्य के रूप में उभरे हैं। आंकडों से इन राज्यों में बडे पैमाने पर पलायन होने का पता चलता है, लेकिन वापस जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नही है। आगे इसके कारणों पर चर्चा की गई है।
- उत्तर भारत के राजस्थान , बिहार और उत्तर प्रदेश से बडे पैमाने में मजदूर पलायन करते हैं, लेकिन इसके साथ इन राज्यों में उल्लेखनीय संख्या में बाहरी राज्यों से मजदूर काम करने के लिए आते भी हैं।

मैप में रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए श्रमिक ट्रेनों के आंकडे उपरोक्त चर्चा के अनुसार टिप्पणियों और रुझानों की पुष्टी करते हैं और उन्हें सुदृढ करते हैं। देश भर में मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों के मुख्य पलायन स्रोत देश के पूर्वी राज्य हैं। पश्चिम भारत के गुजरात और महाराष्ट्र सबसे प्रमुख गंतव्य राज्य हैं।

दक्षिणी गंतव्य क्लस्टर: हर हिसाब से जनसांख्यिकी रूप से उन्नत तमिलनाडु और केरल राज्य देश के उत्तर और पूर्व से आने वाले मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य राज्य है। ऊपर दिये गए आंकडों में इन दोनों राज्यों, विशेष रूप से केरल का आंकडा वास्तविक स्थिति से कमतर है। इसका एक कारण कोविड महामारी के लॉकडाउन के समय केरल में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों ने वापस अपने गृह राज्यों में लौटने में रुचि नहीं दिखाई। केरल में काम करने वाले अधिकांश प्रवासी मजदूरों का ध्यान उनके मालिक, सरकार और नागरिक समाज संगठनों ने रखा।

तमिलनाडु और केरल ऐसे सिर्फ दो राज्य हैं जहां की सरकारों ने वहाँ काम करने वाले प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करने का काम किया। केरल में राज्य योजना बोर्ड ने सर्वे किया जिसमें राज्य में प्रवासी मजदूरों का सर्वे करते समय मौसमी पलायन करने वालों की भी मैपिंग की गई (परिदा और रमन, 2021)। इस अध्ययन के हिसाब से राज्य में काम करने वाले कुल 31.4 लाख प्रवासी

Courtesy: thenation.com

टेबल 3: प्रवासियों को लेकर संदिग्ध आंकड़े देने वाले राज्य

क्रम संख्या	राज्य	आंकड़े	भरोसा नहीं कर पाने के कारण
1	छत्तीसगढ़	राज्य से बाहर जाने वाले 10,85,000	यह संख्या ज्यादा है। छत्तीसगढ़ को प्रवासी मजदूरों के प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ से बाहर जाने वाले मजदूरों की संख्या को छत्तीसगढ़ में आने वाले मजदूरों से कम बताया गया है। इस आंकड़े का सिर्फ एक स्रोत है,और वह केंद्र के मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा जारी किया गया प्रैस वक्तव्य है। जिसमें कोरोना के समय राज्य में 10.85 लाख मजदूर होने का दावा किया गया।
2	झारखंड	राज्य से बाहर जाने वाले 1,691	यह बहुत कम है। झारखंड में तरह-तरह के खनिज होने के कारण खनन औद्योगिक परिसर में जरूर कुछ प्रवासी मजदूर राज्य में काम करने के लिए मौसमी पलायन करते होंगे। ऐसे में श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आंकड़ा जो कहता है कि सिर्फ 1691 मजदूर कोरोना के समय राज्य छोड़कर बाहर गये, सही नहीं हो सकता। इससे कहीं ज्यादा मजदूर राज्य से बाहर गये होंगे।
3	पश्चिम बंगाल	बाहर जाने वाले मजदूर 11,075	यह बहुत कम है। पश्चिम बंगाल से कोरोना के समय बाहर जाने वाले मजदूरों का कोई आंकड़ा नहीं है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल प्रवासी मजदूरों का प्रमुख गंतव्य राज्य है। श्रमिक ट्रेन का आंकड़ा सही नहीं हो सकता।
4	पंजाब	राज्य में बाहर से आने वाले मजदूरों की संख्या 5,15,642	यह संख्या बहुत ज्यादा है। प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से पंजाब में पलायन करते हैं, पंजाब प्रवासी मजदूरों का गंतव्य राज्य है न कि स्रोत। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के समय मजदूरों का पंजाब वापस आने का सवाल पैदा नहीं होता।
5	केरल	राज्य में आने वाले मजदूरों की संख्या 3,11,124	यह संख्या मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों की नहीं हो सकती। केरल में वापस आने वाले लोगों की संख्या सही हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों की नहीं हो सकती। इस अध्ययन का विषय मौसमी पलायन करने वाले मजदूर हैं।

मजदूरों में 21 लाख मौसमी पलायन करने वाले हैं। हालांकि यह ध्यान में रखना चाहिए कि अध्ययन में मौसमी पलायन को साल में एक साथ तीन महीने से कम पलायन के रूप में परिभाषित किया गया है। गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टेक्सेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार केरल में 2012 में 25 लाख प्रवासी मजदूर काम करते थे (नारायना, 2013)। इसी तरह से तमिलनाडु के लिए 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट में तमिलनाडु राज्य श्रम विभाग के सर्वे का हवाला दिया गया (फिलिप सी, 2016) और इस सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर होने की बात कही गई। राज्य के 10.67 लाख प्रवासी मजदूरों में अधिकांश अकुशल मजदूर हैं। हमारी टीम ने इस सर्वे रिपोर्ट को प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार का उपयोग किया। लेकिन रिपोर्ट के छपने तक संबन्धित विभाग से हमें कोई जवाब नहीं मिला है।

संदिग्ध / कम आंकड़े दिखाना/ छूटे आंकड़े: टेबल में दिखाये गए कुछ आंकड़े भरोसे के लायक नहीं है क्योंकि वे स्थापित जानकारी के विपरीत हैं। कुछ आंकड़े नहीं मिले। कुछ जगह पर कम आंकड़े दिखाए गए। नीचे टेबल में इन आकड़ों और दस्तावेजों की सूची दी गई है और इन आंकड़ों की खामियों को चिन्हित किया गया है। .

केस स्टडीज़ और राज्यों की प्रोफ़ाइल**-:**

शोध टीम ने मौसमी पलायन से संबन्धित बहुत सारी अध्ययन सामग्री इकट्ठा की। अध्ययन के पहले चरण में कोविड लॉकडाउन के समय मजदूरों के गंतव्य से स्रोत तक यात्रा पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन रिपोर्ट के इस हिस्से में हम मौसमी पलायन के कुछ रोचक अध्ययन पर चर्चा करेंगे। इनमें से दो अध्ययन कोविड महामारी से पहले किये गए। शेष दो अध्ययन कोविड के समय के आंकड़ों पर आधारित है। राज्य प्रोफ़ाइल प्रवासी मजदूरों के राज्य-वार दस्तावेजीकरण के उदाहरण के रूप में काम करता है। इस प्रोफ़ाइल में मजदूरों का दस्तावेजीकरण करने के

तरीकों के बारे में संक्षिप्त चर्चा की जाती है। इसके अलावा पलायन प्रवाह को चिन्हित करने और देश के स्तर पर अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों में काम करने के लिए पलायन करने वाले मजदूरों की कुल संख्या का पता लगाया जाता है।.

केस स्टडी 1

केरल की ओर मजदूरों का पलायन– ज्ञान और पैटर्न

केरल उन गिने चुने राज्यों में से है जहां पूरे राज्य में मौसमी पलायन करके आने वाले प्रवासी मजदूरों पर राज्य स्तरीय रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में राज्य की अर्थनीति में प्रवासी मजदूरों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। केरल के राज्य प्लानिंग बोर्ड (2021) और सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड इनक्लूसिव डेवलपमेंट (2017) के लिए परिदा और रमन ने दो अध्ययन किये। पहले अध्ययन में केरल में कुल प्रवासी मजदूरों की संख्या का आंकलन किया गया। दूसरे अध्ययन में केरल में पलायन प्रवाहों को चिन्हित किया गया और उन आर्थिक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जिनमें प्रवासी मजदूर काम करते हैं।

परिदा और रमन (2021) द्वारा केरल स्टेट प्लानिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट "इन-माइग्रेशन, इनफॉर्मल इम्प्लॉयमेंट एंड अर्बनाइजेशन इन केरला" में अंतर राज्यीय प्रवासी मजदूरों की संख्या का आंकलन किया गया और उनके रहन-सहन और काम करने की स्थिति के बारे में बताया गया। अध्ययन में केरल के सभी जिलों के 400 औद्योगिक उद्यमों के चयनित क्लस्टर में बेस लाइन सर्वे किया गया। इसके साथ ही एनएसएस और सेंसस डाटा का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में 2017-2018 के दौरान केरल में दूसरे राज्यों के लगभग 31 लाख मजदूर होने का आंकलन किया गया है। इनमें 80 प्रतिशत मजदूर मौसमी पलायन या कम समय के लिए पलायन करते हैं (हालांकि रिपोर्ट में मौसमी पलायन को एक बार में तीन महीने से कम समय के लिए पलायन करने के रूप में परिभाषित किया गया है)। कुल 31 लाख प्रवासी मजदूरों में 17.6 लाख मजदूर निर्माण क्षेत्र, 6.3 लाख विनिर्माण क्षेत्र, 3 लाख कृषि और संबन्धित क्षेत्र, होटल, रेस्तरां में 1.7 लाख, खुदरा और थोक व्यापार में लगभग 1 लाख और अन्य प्राथमिक सेवाओं में 1.6 लाख मजदूर काम करते हैं (परिदा और रमन 2021)।

रिपोर्ट में लेबर चौक पर दिहाड़ी के लिए दर-बदर होते मजदूरों को शामिल नहीं कर पाने की बात को स्वीकार किया गया है जबकि यह तबका मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों का अच्छा खासा हिस्सा है। अध्ययन का सैंपल सिर्फ औद्योगिक क्लस्टरों से लेने के कारण इन मजदूरों को शामिल नहीं किया जा सका।

इस संक्षिप्त ब्यौरे में सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड इनक्लूसिव डेवलपमेंट (सीएमआइडी) द्वारा केरल में बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों पर तैयार किए गए प्रोफ़ाइल पर चर्चा करेंगे। सीएमआइडी ने 2016-2017 में केरल के सभी 14 जिलों में प्रवासी मजदूरों का प्रोफ़ाइल बनाने के लिए गुणात्मक सर्वे किया। इस सर्वे में खोज परक शोध डिज़ाइन का उपयोग किया। इस सर्वे से प्रवासी मजदूर किन–किन जगहों पर और किन-किन आर्थिक क्षेत्रों में कितनी संख्या में काम करते हैं, के बारे में पता चला। इसके अलावा मुख्य पलायन गलियारों को भी चिन्हित किया गया।

अध्ययन में भारत के 25 राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्रों के 194 जिलों से केरल में पलायन करने की बात उभर कर आई। इनमें 60 प्रतिशत जिले पूर्वी और उत्तर-पूर्व भारत के हैं। अध्ययन से निर्माण क्षेत्र,आतिथ्य, प्लैंटेशन, लकड़ी के फर्नीचर, समुद्र में मछली पकड़ने, खनन और क्वेरिंग, प्लाईवुड, टेक्सटाइल और पहनावा, समुद्री भोजन और जूते-चप्पल के काम में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के काम करने की बात सामने आई।

इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1990 से मजदूरों का पलायन गलियारा बनना शुरू हुआ है और यह गलियारा 2300-3700 किलोमीटर लंबा है। नीचे दिए गए टेबल में असम और बंगाल से केरल के अलग-अलग जिलों तक सबसे लंबी दूरी के पलायन गलियारों पर चर्चा की गई है। अध्ययन में असम के डिब्रुगढ और नगाँव से केरल के कोल्लम तक 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे पलायन गलियारे को चिन्हित किया गया है।

अध्ययन में संकेत दिया गया है कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मजदूरों में एकल पुरुष, एकल

टेबल 4: उत्तर पूर्वी भारत से केरल की ओर जाने वाले कुछ नए और सबसे लंबे गलियारे

No	Destination	Source District	Source State	Distance
1	Kollam	Nagaon	Assam	3,500
2	Kollam	Cooch Behar	West Bengal	3,000
3	Kollam	Jalpaiguri	West Bengal	3,000
4	Kottayam	Jalpaiguri	West Bengal	2,900
5	Kottayam	Dibrugarh	Assam	3,700
6	Ernakulam	Nagaon	Assam	3,300
7	Ernakulam	Murshidabad	West Bengal	2,500
8	Ernakulam	Saharanpur	Uttar Pradesh	2,800
9	Malappuram	Bardhaman	West Bengal	2,300
10	Kozhikode	Bardhaman	West Bengal	2,300
11	Kozhikode	North 24 Parganas	West Bengal	2,300
12	Kozhikode	South 24 Parganas	West Bengal	2,300

Source: Peter & Narendran, "God's Own Workforce", 2017

महिला, पति-पत्नी या परिवार के साथ केरल में पलायन करते हैं जबकि शेष भारत से केरल में पलायन करने वालों में बड़ी संख्या ग्रामीण कृषि क्षेत्र के पिछड़े समुदाय के एकल पुरुषों की है। प्रवासी मजदूरों में परिवार के साथ पलायन करने वालों के अलावा, विशेष रूप से समुद्री भोजन की पैकेजिंग के काम में एकल लड़की/ एकल महिला मजदूर भी शामिल हैं।

केरल में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों में सबसे बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय का है। अध्ययन से पता चलता है कि देश में

अदृश्य

Courtesy: Deccan Chronicle

सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी वाले 5 जिलों में 4 जिले पलायन गलियारे के रूप में उभरे हैं। ये गलियारे पश्चिम बंगाल से शुरू होते हैं। मुसलमान, ईसाई, वरिष्ठ नागरिक, महिला और घुमंतू समुदाय जैसे हाशिये पर रहने वाले प्रवासी मजदूरों के समूहों के लिए देश के अन्य राज्यों में काम करने की तुलना में केरल में काम करना ज्यादा अनुकूल है।.

नीचे आर्थिक क्षेत्रवार गंतव्य का ब्यौरा दिया गया है :

सभी स्रोत राज्यों के प्रवासी मजदूरों को पूरे केरल राज्य में निर्माण क्षेत्र में रोजगार मिलता है। कोच्चि, थ्रिस्सूर, कोझिकोड, तिरुवन्तपुरम में निर्माण और आधारभूत संरचना के काम में प्रवासी मजदूर लगे हैं। इसके अलावा विज़्हिंजम बन्दरगाह, आईटी पार्क, कोची के तेल शोधक विस्तार और कोची मेट्रो में सभी राज्यों के प्रवासी मजदूर काम करते हैं।

पूरे केरल के आतिथ्य क्षेत्र, होटल, रेंस्तरा, रिज़ॉर्ट और पार्लर में अन्य राज्यों और नेपाल के साथ उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मिज़ोरम, मणिपुर के मजदूर काम करते हैं।

- इडूक्की, पलक्कड, वायनाड, त्रिस्सूर में प्लैंटेशन, चाय, कॉफी, इलायची का बगीचा, पॉल्ट्री और कृषि-नर्सरी का काम फैला हुआ है। इनमें झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु के प्रवासी मजदूर काम करते हैं।
- मछली पकड़ने का काम: नीदकरा, पोन्नानी, कोच्चि, बेयपोरे, पुथियप्पा, कोइलन्दी, अझिक्कल में मछली पकड़ने का काम होता है। पाँच राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा प्रदेश, और कर्नाटक के पारंपरिक मछुआरे काम करने के लिए आते हैं। बन्दरगाह में असम,पश्चिम बंगाल,झारखंड और उड़ीसा के अकुशल मजदूर काम करते हैं।
- खनन और क्वेरी: असम, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के प्रवासी मजदूर मूक्कुन्निमाला (त्रिवेन्द्रम), इंदिअनूर (मलप्पुरम), त्रिथला (पलक्कड), ब्लातुर, उरातूर, इरिक्कुर (कुन्नूर) और पेरिया (कासरगोड) के खदानों और क्वेरीयों में काम करते हैं।
- प्लाईवुड: एर्णाकुलम, कन्नूर और वायनाड के प्लाईवुड उद्योग में असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुशल और अकुशल प्रवासी पुरुष मजदूर और महिला मजदूर काम करते हैं।
- समुद्री खाद्य : समुद्री खाद्य की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम ऐसा है जिसमें मुख्यतः महिलाओं और लड़कियों को काम पर रखा जाता है। आलप्पुझा, कोल्लम, अस्र, एरामल्लूर, सक्थिकुलांगरा और नीदकारा के समुद्री खाद्य की प्रोसेसिंग इकाइयों में असम,उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक की प्रवासी मजदूर महिलाएं/लड़कियां काम करती हैं।
- फुटवियर उद्योग में बिहार और पश्चिम बंगाल के कुशल और अकुशल प्रवासी मजदूर काम करते हैं।
- गारमेंट उद्योग में उड़ीसा के आदिवासी समाज के पुरुष और महिला प्रवासी मजदूरों के अलावा उत्तर-पूर्व के राज्यों और पश्चिम बंगाल के मजदूर रोजगार करते हैं।

केस स्टडी 2

ग्रामीण उड़ीसा से मजदूरों के पलायन को समझना – चार

Courtesy: DownToEarth

ब्लॉकों का अध्ययन:

दशकों से उड़ीसा मौसमी पलायन करने वाले मजदूरों का एक प्रमुख स्रोत राज्य बना हुआ है। हालांकि इस परिघटना को लेकर पूरे उड़ीसा राज्य को लेकर कोई अध्ययन नहीं हुआ है। लेकिन राज्य से मौसमी पलायन को समझने के लिए छोटे स्तर पर कई कोशिशें हुई है।

कोविड-19 महामारी के समय ग्राम विकास और सीएमआइडी ने उड़ीसा के 4 जिलों के 4 ब्लॉकों से पलायन के विविध पहलुओं और पलायन करने वाले समुदाय पर महामारी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गंभीर प्रयास किया। पलायन करने वाले मजदूरों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, पलायन के लिए जिम्मेदार कारकों, मजदूरी, रहने की स्थिति, सेवा और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच जैसे विषयों पर लोगों का अर्ध-संरचित साक्षात्कार लिया गया। दिसम्बर 2019 से मार्च 2021 के बीच थूआमूल रामपुर ब्लॉक के 440 परिवार और 84 प्रवासी मजदूर, जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक के 421 परिवार और 168 प्रवासी मजदूर, रायगड ब्लॉक के 440 परिवार और 139 प्रवासी मजदूर और बालीगुडा ब्लॉक के 417 परिवार और 94 प्रवासी मजदूरों का सर्वे किया गया। यह अध्ययन राज्य से बाहर 30 दिनों से ज्यादा समय के लिए पलायन करने वालों पर केन्द्रित था।

अध्ययन से पता चलता है कि पलायन करने वालों में ज्यादा प्रतिशत अनुसूचित जाति के परिवारों का है। अनुसूचित जाति के परिवारों में से लगभग आधे परिवारों का पलायन का इतिहास

अदृश्य

रहा है। रायगड़ के 77 प्रतिशत, बालीगुडा के 56 प्रतिशत और थूआमूल रामपुर ब्लॉक के 49 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति के हैं। सभी ब्लॉकों में सबसे ज्यादा संख्या में एकल पुरुषों ने पलायन किया । जिला या राज्य के बाहर पलायन करने वालों में 22-30 साल के युवा थे। रिपोर्ट के अनुसार इनमें सिर्फ एक–तिहाई युवाओं ने उच्च-माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई की है। जगन्नाथप्रसाद ब्लॉक को छोड़कर सभी तीन ब्लॉकों में 50 प्रतिशत से ज्यादा प्रवासी मजदूर अर्ध-कुशल /अकुशल मजदूर हैं। जगन्नाथप्रसाद ब्लॉक के प्रवासी मजदूरों में यह 40 प्रतिशत है। गंतव्यों में इन मजदूरों को महीने में औसत 10000-12000 रुपए मजदूरी मिलती थी।

कोविड के पहले जगन्नाथप्रसाद ब्लॉक के लगभग 38 प्रतिशत परिवारों में से कम से कम एक सदस्य जिले से बाहर गया। 18 प्रतिशत परिवारों में से कम से कम एक सदस्य राज्य से बाहर गया था। जिला और राज्य से बाहर पलायन करने वाले परिवारों का प्रतिशत रायगड में क्रमशः 34 प्रतिशत और 31 प्रतिशत, बालीगुडा में क्रमशः 21 प्रतिशत और 18 प्रतिशत, थूआमूल रामपुर में 20 प्रतिशत और 19 प्रतिशत था। कोविड महामारी के बाद जगन्नाथप्रसाद ब्लॉक, रायगड ब्लॉक और बालीगुडा ब्लॉक में यह प्रतिशत क्रमशः 30 प्रतिशत और 22 प्रतिशत , 18 प्रतिशत और 15 प्रतिशत और 12 प्रतिशत और 11 प्रतिशत हो गया।

अध्ययन से पता चलता है कि रायगड ब्लॉक से 28.6 प्रतिशत परिवारों, जगन्नाथप्रसाद ब्लॉक से 10.7 प्रतिशत परिवारों, थूआमूल रामपुर ब्लॉक के 5 प्रतिशत और बालीगुडा के 3.4 प्रतिशत परिवारों के कम से कम एक सदस्य ने 6 महीने या उससे कम समय के लिए जिला या राज्य से बाहर मौसमी पलायन किया।

जगन्नाथप्रसाद ब्लॉक की कुल आबादी का 12.4 प्रतिशत, रायगड की 9.3 प्रतिशत आबादी, बालीगुडा की 5.3 प्रतिशत आबादी और थूआमूल रामपुर की 5.8 प्रतिशत आबादी ने काम के लिए जिले से बाहर पलायन किया।

उड़ीसा से बाहर जाने वाले मजदूरों में रायगड के 47 प्रतिशत, थुआमूल रामपुर के 30 प्रतिशत, बालीगुडा के 20 प्रतिशत और जगन्नाथप्रसाद के 17 प्रतिशत मजदूर निर्माण क्षेत्र में काम करते थे।

इसी तरह से लगभग एक तिहाई प्रवासी मजदूर, जगन्नाथप्रसाद के 36 प्रतिशत और बालीगुडा के 16 प्रतिशत मजदूर दुकान और प्रतिष्ठानों में रोजगार करते थे। गारमेंट उद्योग में 21 प्रतिशत मजदूर काम करते थे। रायगड में सबसे ज्यादा प्रतिशत (15 प्रतिशत) मजदूर निर्माण क्षेत्र में काम करते थे और निर्माण क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा मजदूर फैक्ट्री में काम करते थे और उससे कम प्रतिशत (6 प्रतिशत)

टेबल 5:प्रवासी मजदूरों का गंतव्य राज्य वार बंटवारा

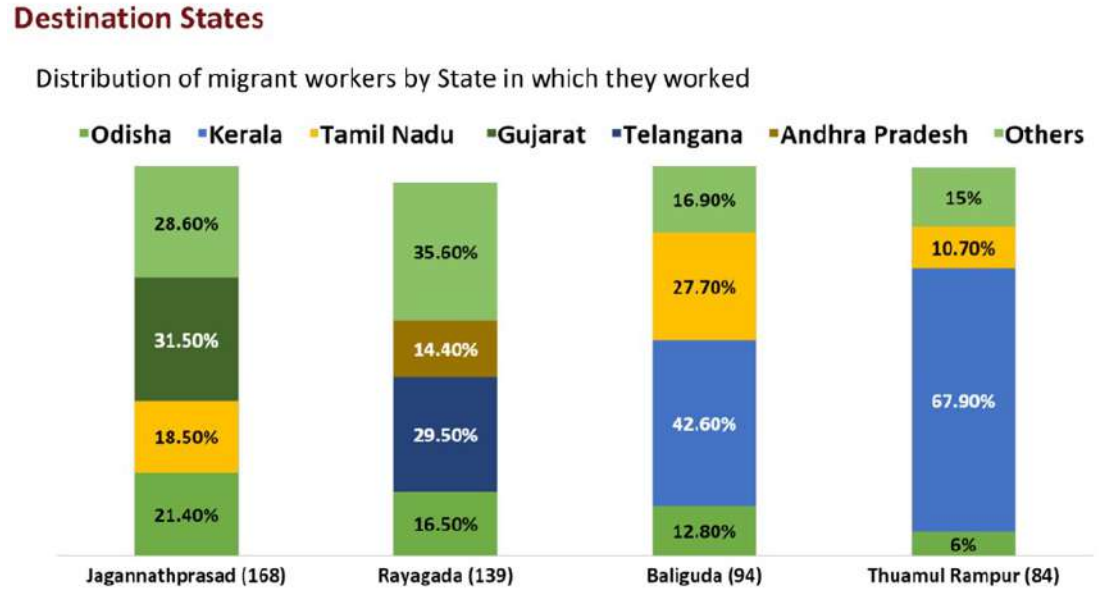

Source: Gram Vikas & CMID, “Labour Migration from Rural Odisha” (2021).

घरेलू मजदूर थे।

बालीगुड़ा ब्लॉक के 30 प्रतिशत प्रवासी मजदूर फैक्ट्री में काम करते थे। निर्माण क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के एक चौथाई से ज्यादा प्रवासी मजदूर काम करते थे और इस काम में 10 प्रतिशत मजदूर अन्य पिछड़े समुदाय के हैं। थूआमूल रामपुर ब्लॉक के 60 प्रतिशत प्रवासी मजदूर होटल और निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं। होटल और रेंस्तरा में अन्य पिछड़े समुदाय के प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा काम मिलता है और आदिवासी समाज के सबसे ज्यादा प्रतिशत मजदूरों को निर्माण क्षेत्र में रोजगार मिला है।

स्रोत: ग्राम विकास और सीएमआइडी " लेवर माइग्रेशन फ्रोम रूरल उड़ीसा" (2021)

अध्ययन के अनुसार बालीगुड़ा और थूआमूल रामपुर ब्लॉक से मजदूरों का सबसे ज्यादा प्रतिशत केरल में पलायन करता है। जगन्नाथप्रसाद ब्लॉक से रोजगार के लिए पलायन करने वालों में सबसे ज्यादा प्रतिशत गुजरात की ओर रुख करता है। रायगड ब्लॉक से उल्लेखनीय प्रतिशत मजदूर तेलंगाना (30 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (15 प्रतिशत) की ओर पलायन किया।

केस स्टडी 3

महामारी के समय छत्तीसगढ़ लौटना :

कोविड महामारी के समय सरकार द्वारा राहत प्रयासों में मदद करने के मकसद से के.आर.इ.ए. विश्वविघालय के एविडेंस फॉर पॉलिसी डिज़ाइन इंडिया और इंडस एक्शन ने राज्य में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा जुटाने में छत्तीसगढ सरकार के साथ भागीदारी की। कोविड महामारी और लॉकडाउन के समय कई राज्यों में नागरिक समाज संगठनों ने प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को राज्य सरकारों द्वारा राहत सामग्री मुहैया करने में मदद करने के लिए उनकी संख्या का आंकलन करने में सहयोग और समर्थन दिया। शोध करने वाले समूह 27000 प्रवासी मजदूरों तक पहुंचे और 29 मई से 7 जुलाई तक 12407 मजदूरों का फोन पर सर्वे किया। इस अध्ययन के निष्कर्षों को यहाँ विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

इस सर्वे के आधार पर संगठन ने "रिटर्निंग टु छत्तीसगढ़ थ्रू द पेंडमिक-फ़ाइंडिंग्स फ्राम सर्वे ऑफ रिटर्न माइग्रेण्ट्स" शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट से नीचे दिए गए तथ्य उभर कर सामने आए:

- अपने गृह राज्य में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का था। इनमें 61 प्रतिशत 30 साल से कम उम्र के थे और 94 प्रतिशत 45 साल से कम उम्र के थे।
- कुल मजदूरों में से दो-तिहाई पुरुष हैं। इससे परिवार के साथ पलायन की तुलना में एकल पुरुषों के पलायन की संख्या ज्यादा होने का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मैप 4: छत्तीसगढ़ के प्रमुख पलायन स्रोत

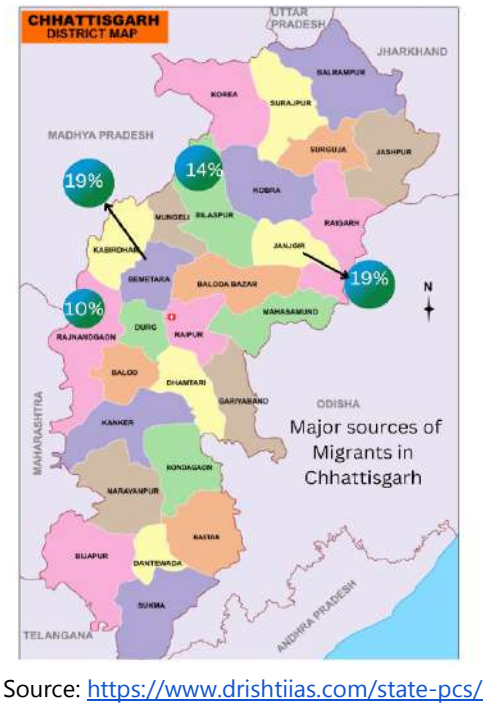

Source: https://www.drishtiias.com/state-pcs/chhattisgarh-gk-state-pcs-english

- पलायन करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या (48 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति (25 प्रतिशत) और आदिवासी (22 प्रतिशत) प्रवासी मजदूर हैं।
- लौटने वाले प्रवासी मजदूरों में 30 प्रतिशत महाराष्ट्र से, 13 प्रतिशत तेलांगना से, 11 प्रतिशत गुजरात से और 10 प्रतिशत उत्तर प्रदेश से लौटे।
- छत्तीसगढ लौटने वाले मजदूर राज्य के बेमेतरा जिला (19

मैप 5:छत्तीसगढ़ से पलायन पथ

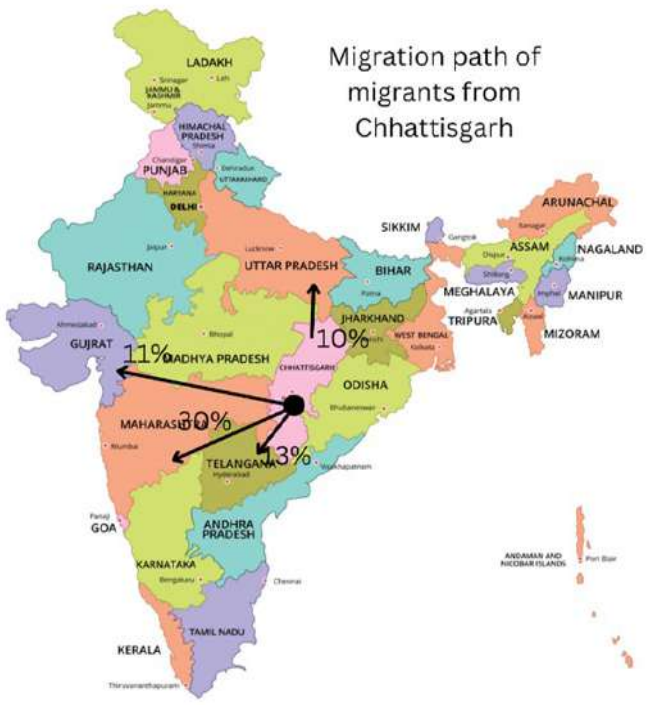

Source: https://worldmapwithcountries.net/2020/03/12/india-map-with-states/

प्रतिशत), जंजगीर चम्पा जिला (19 प्रतिशत), बिलासपुर (14 प्रतिशत) और राजनांदगाँव जिला (10 प्रतिशत) से थे ।

- छत्तीसगढ से महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में पलायन करने वालों में ज्यादा संख्या गैर-कृषि मजदूरों की थी।
- कोविड महामारी के समय छत्तीसगढ लौटने वाले मजदूरों में 80 प्रतिशत कोविड से पहले गंतव्य राज्यों में गैर-कृषि क्षेत्र में काम करते थे।

केस स्टडी 4

उत्तर प्रदेश से बाहरी राज्यों में पलायन करने वाले मजदूरों का क्षेत्रवार बंटवारा :

जून, 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का क्षेत्र वार बंटवारा प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। इसे नीचे प्रस्तुत मैप में दिखाया गया है।

- गोरखपुर डिवीजन: सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर महाराजगंज जिला (7.11 लाख) लौट आये। इसके बाद गोरखपुर और कुशीनगर जिले में क्रमशः 50293 और 44047 मजदूर लौट आये।
- सबसे ज्यादा पलायन होने वाले 10 डिवीजन में 7 डिवीजन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के है।
- महाराजगंज के बाद सबसे ज्यादा संख्या में प्रवासी मजदूर प्रयागराज (138311), संत कबीर नगर (99941), मऊ (97073), बहराइच (91956), बलरामपुर(88522), सिद्धार्थनगर (83451) और बस्ती (82000) लौट आये।

मैप 6: लॉकडाउन के समय लौटने वाले उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों का डिवीजन वार बंटवारा

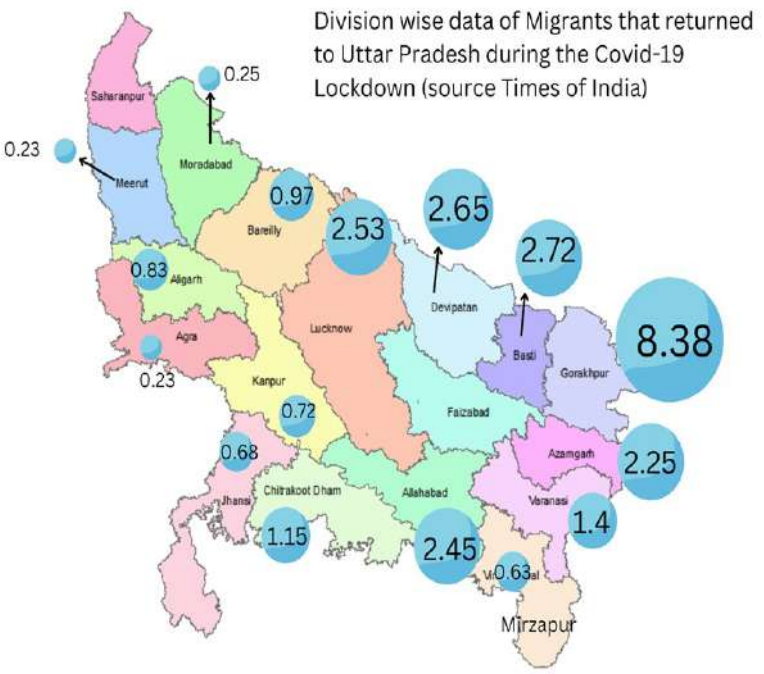

Source: https://uttarpradesh.pscnotes.com/uttar-pradesh-general-studies/uttarpradesh-polity/division-and-district-of-uttar-pradesh/

अध्याय 5

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

पहले चरण के आंकड़ों का मिलान इस अनुमान के साथ किया गया था कि कोविड लॉकडाउन के बाद जो आंकड़े आएंगे वह मौसमी पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारा यह अनुमान सही साबित हुआ। कई महीनों के अध्ययन और आंकड़ों का संकलन करने के बाद अध्ययन टीम भारत में अंतर्राज्यीय मौसमी पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या के बारे में आंकलन कर पाई। इस आंकलन को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

- अपने गृह राज्यों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या 1,35,69,916 (राज्यों में आने वाले)।
- गंतव्यों से अपने गृह राज्यों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या 1,46,54,807 (राज्यों से बाहर जाने वाले) ।

दोनों आंकड़ों में थोड़ा अंतर है लेकिन अध्ययन के दायरे और स्वरूप के मद्देनजर इसे बहुत बड़ा अंतर नहीं कहा जा सकता। जारी किए गये आंकड़ों में कई समस्याएँ हैं जबकि सभी आंकड़े सरकारी स्रोतों से लिए गए हैं। इनमें से कई आंकड़े जमीनी स्थिति के विपरीत हैं। राज्यों से बाहर जाने वाले और राज्यों में लौटने वाले मजदूरों की संख्या अलग-अलग स्रोतों से लेने के बावजूद दोनों का लगभग मेल खाना आंकड़ों के भरोसेमंद होने का सबूत है और शोध पद्धति को सही साबित करता है।

टीम ने राज्यों के गलत आकड़ों को चिन्हित किया है। केरल जैसे राज्य के लिए वैकल्पिक आंकड़ा उपलब्ध है।

इस काम में राज्य स्तर के मेक्रो डाटा के साथ हमने सूक्ष्म स्तर का ब्यौरा भी तैयार किया है और केस स्टडीज़ भी की। इनमें से हम कुछ को साझा कर रहे हैं।

पहले साल का डाटा जुटाना विस्तृत और व्यापक दस्तावेज बनाने की दिशा में पहला कदम है। इसमें मौसमी पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों के बारे में मात्रात्मक और गुणात्मक डाटा सामने आयेगा। मौसमी प्रवासी मजदूर, मजदूर वर्ग का सबसे असुरक्षित हिस्सा है। हम उम्मीद करते हैं कि यह अध्ययन इसमें रुचि रखने वाले हितधारकों को इसे आगे ले जाने के लिए चर्चा करने और इसमें भागीदारी करने का आधार मुहैया करेगा।

अदृश्य

आगे की ओर

हम इस अध्ययन को जारी रखना चाहते हैं। दूसरे साल में हम पहले साल में छूट गये कुछ महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना चाहते हैं।

कम दूरी और कम अवधि के पलायन को अध्ययन में शामिल करना : जैसा कि हमने पहले बताया कि कम दूरी के पलायन को शामिल नहीं करना हमारे अध्ययन की प्रमुख कमजोरी रही। गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे फलते-फूलते आर्थिक क्लस्टर में बड़े पैमाने पर लोग नजदीकी जगहों/ जिलों से पलायन करके आते हैं।

मध्य पश्चिम भारत के आदिवासी पट्टियों का मैपिंग करना : पश्चिमी मध्य भारत की आदिवासी पट्टी 4 राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश , गुजरात और महाराष्ट्र में फैली है। यह पट्टी कृषि क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र के लिए कम अवधि के अनियमित मजदूरों का प्रमुख स्रोत है। इसके साथ ही यह पट्टी पश्चिम भारत के राज्य गुजरात और महाराष्ट्र की अन्य आर्थिक गतिविधि के लिए मजदूर पूर्ति का बड़ा स्रोत है। इस इलाके से मजदूर विकसित हो रहे छोटे उपनगरों में भी काम करने जाते हैं। कम अवधि के लिए मौसमी पलायन के इस प्रमुख स्रोत पर हमने पहले साल के अध्ययन में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

राज्यों की प्रोफ़ाइल बनाना : देश का मानचित्र राज्यों का मानचित्र बनाए बगैर संभव नहीं है। बहुत कम ही राज्यों के पास अध्ययन पर आधारित प्रवासियों की प्रोफ़ाइल है। इन गिने चुने राज्यों में केरल, तमिलनाडु और राजस्थान है। झारखंड में राज्य स्तरीय प्रोफ़ाइल बनाने की योजना बनाई गई है। हम अन्य सभी राज्यों के प्रोफ़ाइल बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

अध्ययन में लैंगिक पहलू को संबोधित करना : मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दौरान हमे लिंग वार आंकड़ा नहीं रहने जैसी गंभीर कमी के बारे में बताया गया। मौसमी पलायन करने वालों में अच्छा–खासा हिस्सा महिला मजदूरों का है। लेकिन हमे प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा मिला उसमें पुरुष और महिलाओं के अलग-अलग आंकड़े नहीं थे। हम इस कमी को दूर करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। प्रोजेक्ट टीम ने महिला और पुरुषों का अलग-अलग आंकड़ा देने के लिए सूचना के अधिकार के तहत कई आवेदन दिए है।

अंतिम नोट्स

[1] NewIndianXpress. "Covid-19: With Two Lakh from Andhra Stranded across India, Government Working to Bring Them Home." The New Indian Express. The New Indian Express, May 4, 2020. Accessed on December 11, 2022 https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2020/may/04/covid-19-with-two-lakh-from-andhra-stranded-across-india-government-working-to-bring-them-home-2138909.html.

[2] SUO MOTU WRIT PETITION (CIVIL) No(s).6/2020: PROBLEMS AND MISERIES OF MIGRANT LABOURERS (Supreme Court June 2020).

[3] MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT. 2021. INTER-STATE MIGRANT WORKMEN ACT, GoI (2020).

[4] Angad, Abhishek. "Jharkhand Govt Launches Initiative to Enable Systemic Registration of Migrant Workers." The Indian Express, December 17, 2021. Accessed on December 11, 2022 https://indianexpress.com/article/india/jharkhand-safe-and-responsible-migration-initiative-hemant-soren-7677318/.

[5] Barik, Satyasundar. "Children of Migrant Labourers in Odisha Face an Uncertain Future." The Hindu, February 27, 2021. Accessed on December 11, 2022 https://www-thehindu-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.thehindu.com/news/national/other-states/children-of-migrant-labourers-in-odisha-face-an-uncertain-future/article33951850.ece/amp/?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16684937309165&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.thehindu.com%2Fnews%2Fnational%2Fother-states%2Fchildren-of-migrant-labourers-in-odisha-face-an-uncertain-future%2Farticle33951850.ece.

[6] Jesudasan, Dennis S. "1.26 Lakh Tamils Residing Outside State Register with Govt. to Return Home." Return to frontpage, May 3, 2020. Accessed on December 11, 2022 https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/126-lakh-tamils-residing-outside-state-register-with-govt-to-return-home/article31496403.ece.

[7] For states such as Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Kerala, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal and Uttar Pradesh the team had to rely on Shramik trains data and the road transportation data. The figures arrived at were had to be adjusted to incorporate migrants travelled by road transportation along with the Shramik trains.

[8] Mishra, Soni. "Chhattisgarh Has Most Number of Stranded Migrant Workers as per CLC

Data." The Week. The Week, June 5, 2020. Accessed on December 11, 2022 https://www.theweek.in/news/india/2020/06/05/chhattisgarh-has-most-number-of-stranded-migrant-workers-as-per-clc-data.html

9 Kumar, Chethan, and Sandeep Moudgal. "Migrant Workers Karnataka: 11.6 Lakh Want to Leave Karnataka, 80% of Them Workers: Bengaluru News - Times of India." The Times of India. TOI, May 29, 2020. Accessed on December 11, 2022 https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/11-6-lakh-want-to-leave-karnataka-80-of-them-workers/articleshow/76084999.cms

10 Based on the figures received through the following sources, our estimation is that 25,91,573 migrants left Maharashtra via rail and road transport.

a. Ministry of Railways, SHRAMIK EXPRESS TRAINS: UNSTARRED QUESTION NO.415, GoI (2020).
b. Siddique, Iram. "781 Shramik Trains Left Maharashtra, 30 More Needed: Officials." The Indian Express, May 31, 2020. https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/781-shramik-trains-left-maharashtra-30-more-needed-officials-6435232/.

11 Agarwal, Subodh. "How Rajasthan Managed the Migrant Worker Crisis." The Hindu Business Line, June 25, 2020. Accessed on December 11, 2022, https://www.thehindubusinessline.com/opinion/how-rajasthan-managed-the-migrant-worker-crisis/article31915228.ece

12 Sahu, Priya. "Covid-19: Odisha's Subarnapur Sets Example by Treating Stranded Migrants with Dignity." Down To Earth, April 16, 2020. Accessed on December 11, 2022 https://www.downtoearth.org.in/news/food/covid-19-odisha-s-subarnapur-sets-example-by-treating-stranded-migrants-with-dignity-70503

13 Dash, Dipak. "After 2,050 Shramik Runs, Just 30% of Migrants Have Managed to Leave: India News - Times of India." The Times of India. TOI, May 22, 2020. Accessed on December 11, 2022 https://timesofindia.indiatimes.com/india/after-2050-shramik-runs-just-30-of-migrants-have-managed-to-leave/articleshow/75878703.cms

14 NewIndianXpress. "Telangana Sees Another Exodus of Migrants amid Second Wave of Covid ." The New Indian Express, April 16, 2021.Accessed on December 11, 2022 https://www.newindianexpress.com/states/telangana/2021/apr/16/telangana-sees-another-exodus-of-migrants-amid-second-wave-of-covid-2290596.html.

परिशिष्ट

Courtesy: lse.ac.uk

"There is a responsibility that we can't end the conversation after Covid. If we want to document migrant worker stories, this is just the beginning." - Ms Ho, a chinese migrant worker

अदृश्य

हमारे अध्ययन के दौरान अलग-अलग राज्यों के पास प्रवासी मजदूरों की संख्या के बारे में उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा करने के लिए कुछ तथ्यों को आधार बनाया गया। ये आधार हमारे अंतिम संकलन की नींव थे। नीचे दिये गए आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा जुटाये गये आंकड़े और रिपोर्टों और खबर/ मीडिया /लेखों में दिये गये आंकड़ों की बहुलता को दिखाते हैं। राज्यों के आंकड़ों के संकलन में कोविड 19 के समय किए गये राज्यों के केस स्टडीज़ और दस्तावेजीकरण को भी शामिल किया गया।

आंध्र प्रदेश:

राज्य में लौटने वाले प्रवासी:

- केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में लोकसभा को 32571 प्रवासियों के आंध्र प्रदेश लौटने की सूचना दी (श्रम और रोजगार मंत्रालय, 2021) ।
- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने 4 मई, 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार के पास स्पंदना के माध्यम से राज्य में लौटने को लेकर 500 आवेदन मिलने की रिपोर्ट छापी। स्पंदना आंध्र प्रदेश के नागरिकों के लिए सीधे मुख्यमंत्री तक पहुँचने का जन शिकायत निवारण प्लेटफ़ार्म है।
- आंध्र प्रदेश के 2 लाख लोगों के अन्य राज्यों में फंसे रहने का अनुमान है। मई महीने के पहले सप्ताह में राज्य के पास अन्य राज्यों में फंसे आंध्र के 12542 लोगों का ब्यौरा है। इनमें 4000 मछुवारे गुजरात में, 3000 मछुवारे तमिलनाडु में, 1100 उड़ीसा में और 9000 लोग राजस्थान में फंसे थे (द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 4 मई, 2020)।

राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी:

- रेल मंत्रालय द्वारा जारी घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश से 69 श्रमिक ट्रेनें छोड़ी गईं (प्रेस सूचना ब्यूरो 2020)। इन ट्रेनों से 104915 यात्री आंध्र छोड़कर अपने गृह राज्यों में लौट गये (प्रेस सूचना ब्यूरो 2021)।

अन्य मीडिया रिपोर्टिंग:

- टाइम्स ऑफ इंडिया (25 मार्च, 2021) के अनुसार आंध्र प्रदेश से लगभग 1 लाख 30 हजार प्रवासी उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश लौट गये। कोविड से पहले राज्य में आने वाले प्रवासी कोविड के समय राज्य से पलायन करने लगे। लगभग 1 लाख लोग अपने गृह राज्यों या अपने मूलनिवास पर लौट गये। श्रीकाकुलम में सबसे ज्यादा 13000 प्रवासी लौट आए। गुजरात के वेरावल, महाराष्ट्र के मध्यद्वीप और कर्नाटक के उडिपी के मलपे गाँव में फंसे 4600 मछुवारों को विशेष बसों से वापस लाया गया।
- 1 मई, 2020 के बिज़नेस टूडे की खबर के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य के एक जिले से दूसरे जिलों में पलायन करने वाले 13060 लोगों को चिन्हित किया है। इनमें 8079 लोग अपने गृह जिलों में लौटना चाहते हैं और 4981 लोग लौटना नहीं चाहते, वहीं रहकर अपना काम करना चाहते हैं। इनमें से अधिकांश कृषि मजदूर और औद्योगिक मजदूर थे।
- **राज्य से बाहर जाने वाले**: लेख में रिपोर्ट किया गया कि राज्य ने 13255 प्रवासी मजदूरों को चिन्हित किया। इनमें से 12794 मजदूर अपने गृह–राज्य लौटना चाहते थे और सिर्फ 461 मजदूर राज्य में रुकना चाहते थे। इन प्रवासी मजदूरों में 10696 मजदूर सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कैंपों में थे और 2098 मजदूर गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित कैंपों में थे। प्रवासी मजदूरों में सबसे ज्यादा संख्या 2602 उत्तर प्रदेश के मजदूरों की थी। इसके बाद बिहार के 1100 मजदूर, 1086 तेलंगाना के मजदूर, कर्नाटक के 822, मध्य प्रदेश के 745 और पश्चिम बंगाल के 499 मजदूर थे। इन

मजदूरों में अधिकांश राज्य के उद्योगों, कृषि क्षेत्र, होटल और रेंस्तरा में काम करते हैं।

बिहार

राज्य में आने वाले प्रवासी:

- 31 मई, 2020 द हिन्दू अखबार की रिपोर्ट में सरकारी ऐप में 29 लाख प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की खबर छपी। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 1000 रूपए की मदद पाने के लिए यह पंजीकरण करवाया गया था। । सरकारी अधिकारी के अनुसार 31 मई, 2020 तक राज्य में लगभग 25 लाख प्रवासी मजदूर लौट आये हैं और 1.5 लाख मजदूरों के वापस आने की उम्मीद है।
- केंद्र सरकार ने लोकसभा में मार्च 2021 तक बिहार में 15,00,612 प्रवासी मजदूरों के लौटने की बात कही (श्रम और रोजगार मंत्रालय, 2021)।
- रेल मंत्रालय के अनुसार 1627 श्रमिक ट्रेनें बिहार में आई हैं (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2020)। हालांकि रेल मंत्रालय ने इन ट्रेनों से बिहार लौटने वाले प्रवासियों की संख्या नहीं बताई। हमारे आंकलन के अनुसार इन ट्रेनों से लगभग 22,24,841 प्रवासी लौट आये हैं।
- सरकारी आंकड़े के अनुसार 2 मई, 2020 से लगभग 21 लाख प्रवासी श्रमिक ट्रेनों से बिहार लौट आये हैं। कुछ लोग सड़क के रास्ते या पैदल आये हैं (त्रिपाठी, 2020)।
- 23 जून, 2020 । मिंट के अनुसार गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जिन 6 राज्यों की मैपिंग की गई थी, उनके आंकड़ों के विश्लेषण से 23.6 लाख प्रवासियों के बिहार लौटने का पता चलता है। तीन जिलों में सबसे ज्यादा संख्या में प्रवासी मजदूर लौटे थे। इनमें उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 160000 प्रवासी, बिहार के पूर्वी चंपारण में 150000 प्रवासी और कटिहार में 140000 प्रवासी लौटे (वर्मा, 2020)।
- राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू होने के तुरंत बाद से उनमें कुशल, अर्ध-कुशल मजदूरों को चिन्हित करने का काम शुरू किया। उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार 16 लाख कुशल और अर्ध-कुशल मजदूरों में 8.40 लाख निर्माण मजदूर, 57000 टेलर, 41000 बढ़ई, 4000 फूड प्रोसेसिंग मजदूर और 1400 हस्तकला के कारीगर थे।
- एनडीटीवी के 2 जून, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से बिहार में जून 2020 तक 2 लाख प्रवासी मजदूर लौट आये (कुमार, 2020)।

राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी:

- रेल मंत्रालय ने बिहार से 294 श्रमिक ट्रेनों में 282147 प्रवासियों को भेजा (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2020 , प्रेस सूचना ब्यूरो, 2021)।

छत्तीसगढ

राज्य में आने वाले प्रवासी:

- केंद्र सरकार ने मार्च, 2021 को लोकसभा में छत्तीसगढ में 526900 प्रवासी के वापस आने की सूचना दी (श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021)।
- रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ में 95 श्रमिक ट्रेनों के आने के बारे में बताया (प्रेस सूचना ब्यूरो 2020)। इन ट्रेनों से लगभग 129908 यात्री छत्तीसगढ वापस आये होंगे।
- समर्थन सेंटर फॉर डेवलपमेंट (2020) ने लॉकडाउन के समय 7 लाख मजदूरों के छत्तीसगढ वापस लौटने का खुलासा किया।

राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी:

अदृश्य

- रेल मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार छत्तीसगढ़ से श्रमिक ट्रेनों में 1156 यात्रियों को दूसरे राज्यों में भेजा गया (प्रेस सूचना ब्यूरो 2021)।
- मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा जून 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 10.85 लाख प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं (मिश्रा, 2020)। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इन मजदूरों में 8.6 लाख प्रवासियों के क्लस्टर में रह रहे हैं, 4018 प्रवासी राहत कैंपों या आश्रय गृहों में हैं और 2.2 लाख मजदूर अपने कार्यस्थल पर रहते हैं।
- 18 अक्टूबर, 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया और उसी दिन डेली पायोनियर की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी मजदूरों को सुविधा देने में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। इन दोनों खबरों में इसका स्रोत इंटरफेरेंशियल सर्वे स्टैटिस्टिक और रिसर्च फ़ाउंडेशन की रिपोर्ट को बताया गया। हालांकि इस रिपोर्ट का पता नहीं चल पाया और अखबार के लेख में छत्तीसगढ़ में कुल प्रवासी मजदूरों की कोई संख्या का जिक्र नहीं किया गया।

पलायन प्रवाह

कोरिया, जसपुर, सरगुजा, अम्बिकापुर, जंजागीर चम्पा, महासमान, बलोदा बाजार से गोवा (पंजीम), दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गुरुग्राम), झारखंड (रांची), तेलंगाना (करीमनगर), पंजाब (होशियारपुर, पटियाला), गुजरात (अहमदाबाद-वडोदरा), राजस्थान (अजमेर, भीलवाड़ा) और उड़ीसा ।

आर्थिक क्षेत्र : घरेलू सहायक, निर्माण , कृषि , मछली , टेक्सटाइल उद्योग, ईंट-भट्टा

दिल्ली

दिल्ली आने वाले प्रवासी:

केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2021 में लोक सभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़े के अनुसार कोविड लॉकडाउन के समय 2047 प्रवासी दिल्ली लौट आये (श्रम और रोजगार मंत्रालय, 2021)।

दिल्ली से बाहर जाने वाले प्रवासी:

- सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट याचिका के अनुसार जून 2020 तक 6.5 लाख लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वेब पोर्टल पर अपने गृह-राज्यों में लौटने के लिए पंजीकरण किया और 2 लाख प्रवासी मजदूरों ने वापस नहीं जाने का निर्णय लिया।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा ली गई स्वतः संज्ञान याचिका (सुओ मोटो रीट पिटिशन (सिविल): प्रॉब्लम्स एंड मिजरिस ऑफ माइग्रेंट लेबरर 2020) केस में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल श्री संजय जैन ने जून, 2020 तक दिल्ली से 236 श्रमिक ट्रेनों में 3 लाख प्रवासी मजदूरों को और 12000 मजदूरों को बसों से भेजने की बात कही।
- रेल मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली से 259 श्रमिक ट्रेनों में 308181 यात्रियों को भेजा गया (प्रेस सूचना ब्यूरो 2020, प्रेस सूचना ब्यूरो, 2021)।

हरियाणा

राज्य में आने वाले प्रवासी :

- 8 मार्च, 2021 को लोक सभा में केंद्र सरकार ने बताया कि 1289 प्रवासी मजदूर हरियाणा लौट आये (श्रम और

1. Some of the streams have been taken from Disha Foundation's policy brief on Tribal Livelihood Migration in India : Situational Analysis, Gap Assessment and Future Direction in 12 states of India

रोजगार मंत्रालय, 2021)।

राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी:

- रेल मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हरियाणा से श्रमिक ट्रेनों में अगस्त 2020 तक 154014 प्रवासियों को अन्य राज्यों में भेजा गया (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2021)
- हरियाणा से बाहर जाने के लिए 14 मई, 2020 तक कुल 10.93 लाख लोगों ने पंजीकरण किया। इनमें 8.04 लोगों ने सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश जाने के लिए पंजीकरण किया (ठाकुर, 2020)।

झारखंड

राज्य में आने वाले:

- लोक सभा में केंद्र सरकार के जवाब के अनुसार 8 मार्च, 2021 तक झारखंड लौटने वाले प्रवासियों की संख्या 530047 थी (श्रम और रोजगार मंत्रालय , 2021)
- रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अगस्त, 2020 तक कुल 222 श्रमिक ट्रेनें झारखंड पहुंचीं। इन ट्रेनों से झारखंड पहुँचने वाले प्रवासियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। हमारे आंकलन के अनुसार 303574 प्रवासी मजदूर श्रमिक ट्रेनों से झारखंड पहुंचे।
- राज्य सरकार के आंकलन के अनुसार 27 मार्च, 2020 से 31 अक्टूबर, 2021 तक 9.66 लाख प्रवासी मजदूर झारखंड पहुंचे (अंगद, 2021), पीटीआई 2021)।
- झारखंड के मुख्यमंत्री के आदेश पर मई 2020 से जून 2020 तक कुशलता मैपिंग की गई। इसके अनुसार दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के 7 लाख मजदूरों ने अपने राज्य वापस आने के लिए पंजीकरण किया था (दे, 2020)।

केस स्टडी:

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा दुमका जिले के ब्लॉकों के प्रोफ़ाइल सर्वे के अनुसार 11 जुलाई, 2020 तक 14036 प्रवासियों ने जिले से बाहर पलायन किया और इनमें से अधिकांश ने राज्य से बाहर पलायन किया। हालांकि इस डाटा सेट में कई डुप्लिकेट पाये गए हैं।

राज्य से बाहर जाने वाले:

रेल मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में फंसे 1691 यात्रियों को श्रमिक ट्रेनों के द्वारा अगस्त 2020 तक अन्य राज्यों में भेजा गया (प्रेस ई सूचना ब्यूरो 2020)।

कर्नाटक

राज्य में आने वाले:

- 8 मार्च, 2021 को केंद्र सरकार ने कर्नाटक में 134438 प्रवासियों के लौटने की सूचना दी (श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021)।

राज्य से बाहर जाने वाले:

- रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अगस्त 2020 तक राज्य से 295 श्रमिक ट्रेनों में 417378 प्रवासियों को दूसरे राज्यों में भेजा गया (प्रेस सूचना ब्यूरो 2020, 2021)।
- टाइम्स ऑफ इंडिया की 29 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में फंसे 9.1 लाख प्रवासी मजदूरों ने राज्य के पंजीकरण पोर्टल पर अपने–अपने गृह राज्यों में लौटने का आवेदन किया (कुमार और मौडगल 2020)।

केरल:

राज्य में आने वाले:

- 8 मार्च, 2021 को केंद्र सरकार ने लोक सभा में केरल में 311124 प्रवासियों के लौटने की सूचना दी (श्रम और

अदृश्य

रोजगार मंत्रालय 2021)।

- मई 2020 से जनवरी 2021 तक केरल में 1319270 लोग देश के अन्य राज्यों से लौट आये थे क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई और यात्रा की अनुमति दी गई थी। इनमे सबसे ज्यादा लोग पड़ोसी तमिलनाडु (3.12 लाख), कर्नाटक (3.11 लाख) और महाराष्ट्र (1.37 लाख) से लौटे थे (पीटीआई "कोविड -19 इंपेक्ट: 8.7 लाख एक्सपेट्स रिटर्न टु केरला; हाफ ऑफ देम ड्यू टू जॉब लॉस", 2021)।

राज्य से बाहर जाने जाने वाले:

- राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार केरल में बाहरी राज्यों के कुल 3.6 लाख मजदूर फंसे हुए थे (राधाकृष्णन, 2020)।
- केरल पुलिस की आधिकारिक वेव साइट के अनुसार लॉकडाउन के समय केरल में लगभग 3.96 लाख मजदूर फंसे हुए थे ("गेस्ट लेवरर" 2020)।
- श्रम आयुक्त कार्यालय (2021) द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार विभाग ने कोविड-19 लॉकडाउन के पहले चरण में कुल 21556 शिविर लगाए जिसमें कुल 4.34 लाख प्रवासी मजदूरों को रखा गया। आंकड़ों से पता चलता है कि कोट्टायम जिला के पयिपडु और एर्णाकुलम जिला के पेरुंबवूर में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में थे।
- रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अगस्त, 2020 तक केरल से कुल 190 श्रमिक ट्रेनों में 310142 यात्रियों को अन्य राज्यों में भेजा गया (प्रेस सूचना ब्यूरो 2020, प्रेस सूचना ब्यूरो 2021)
- गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ाइनेंस एंड टैक्सेशन के अध्ययन में केरल में कुल 25 लाख प्रवासी मजदूर होने का अनुमान लगाया गया (नारायणा, 2013)। हालांकि केरल आने वाले लंबी दूरी के ट्रेनों को आधार बनाकर किए गए सर्वे में तमिलनाडु और कर्नाटक से अक्सर ट्रेन से इतर परिवहन साधन का उपयोग करने वाले मजदूरों को शामिल नहीं किया जा सका।
- केरल राज्य प्लानिंग बोर्ड के सामने रखी गई 2017-2018 की रिपोर्ट में केरल में कुल 31.4 लाख प्रवासी मजदूर होने का आंकलन किया गया था। इनमें 21 लाख मौसमी पलायन करने वाले मजदूर थे (मौसमी प्रवासी में उन्हें शामिल किया गया जो तीन महीने से कम समय के लिए रहते हैं (परिदा और रमन 2021)।

मध्य प्रदेश:

राज्य में आने वाले:

- मार्च 2021 में लोक सभा में केंद्र सरकार को दिए गए जवाब के अनुसार मध्य प्रदेश में 753581 प्रवासी मजदूर लौट आए (श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021)।
- इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 7.3 लाख प्रवासी मजदूरों ने रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से जून 2020 तक पंजीकरण किया (शर्मा, 2020)।
- सरकार के आंकड़ों के अनुसार 129 श्रमिक ट्रेनें मध्य प्रदेश पहुंचीं (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2020)। हालांकि इन ट्रेनों से मध्य प्रदेश आने वाले यात्रियों की संख्या के बारे में नहीं बताया गया, हमारे आंकलन के अनुसार इन ट्रेनों से कम से कम 1.41 लाख प्रवासी मजदूर राज्य में वापस आए।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव आइसीपी केशरी, जो राज्य कंट्रोल रूम के प्रभारी थे, के अनुसार देश के दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के 5 लाख मजदूरों को 23 मई तक वापस राज्य में लाया गया। कम से कम 3.52 लाख प्रवासी मजदूरों को

बसों से राज्य में लाया गया ("5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को वापस लाये" मध्य प्रदेश सरकार: 2020)।

- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जारी बयान के अनुसार 28 मई, 2020 तक 6.5 लाख मजदूरों को वापस लाया गया और 10-13 लाख मजदूरों के वापस आने की उम्मीद है।

राज्य से बाहर जाने वाले:

- रेल मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 13602 यात्रियों को श्रमिक ट्रेनों से राज्य के बाहर भेजा गया (प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो 2021)।

महाराष्ट्र:

राज्य में आने वाले:

- मार्च, 2021 में केंद्र सरकार ने लोक सभा में 182990 प्रवासियों के महाराष्ट्र में लौटने की सूचना दी (रोजगार और श्रम मंत्रालय, 2021)।

राज्य से बाहर जाने वाले:

- गृह मंत्री के अनुसार मई 17, 2020 तक कुल 20 लाख मजदूरों ने अपने-अपने राज्य में वापस जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास पंजीकरण किया, इनमें अधिकांश बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर थे (पीटीआई "20 लाख माइग्रेण्ट्स, बल्क फ्राम बिहार एंड वेस्ट बेंगाल, रेजिस्टर विथ महाराष्ट्र" 2020)।
- जून 2020 तक 5 लाख से ज्यादा यात्रियों को महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम ने निःशुल्क यात्रा करने दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो पिटिशन में कोर्ट के सामने महाराष्ट्र सरकार के पक्ष से पेश होने वाले वकील चिटनीस के अनुसार अभी भी 37000 लोग महाराष्ट्र से अपने राज्य में जाने का इंतजार कर रहे हैं।
- रेल मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र से 817 श्रमिक ट्रेनों में कुल 1241573 प्रवासियों को दूसरे राज्यों में भेजा गया (प्रेस सूचना ब्यूरो, 2020, 2021)।
- 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन शुरू होने से लेकर अब तक 24 लाख अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों ने महाराष्ट्र छोड़ा है। सरकारी आंकलन के अनुसार इनमें 75 प्रतिशत मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र से बाहर गए। 11.24 लाख प्रवासी 781 श्रमिक ट्रेनों से राज्य से बाहर भेजे गये और 5 लाख प्रवासी मजदूरों को राज्य सड़क परिवहन के बसों से अलग-अलग राज्यों की सीमा पर पहुंचाया गया। करीब 8.5 लाख लोग निजी वाहनों से राज्य के बाहर या राज्य के अंदर अपने गंतव्य पर गये (इंडियन एक्सप्रेस, 2020)
- अलग-अलग आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर हमारा आंकलन है कि 2591573 प्रवासी ट्रेन और बसों से महाराष्ट्र छोडकर गए।

केस स्टडी:

मुंबई :

- **राज्य से बाहर जाने वाले**:
- मुंबई पुलिस के अनुसार सिर्फ मुंबई में मई 2020 तक 3.5 लाख मजदूरों ने अपने-अपने गृह–राज्यों में जाने के लिए पंजीकरण किया (दाश 2020)।
- **पलायन प्रवाह**: युवा संस्था ने यात्रा कर रहे 13801 लोगों का आंकड़ा जुटाया और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार किया। यात्रा करने वाले उत्तर प्रदेश,बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल,गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़,राजस्थान और झारखंड के थे। सबसे ज्यादा संख्या में लोग मुंबई से उत्तर प्रदेश (19.14 प्रतिशत)लौट रहे थे। इसके बाद राजस्थान (6.38 प्रतिशत)और महाराष्ट्र के अंदर अलग-अलग जगहों के लिए यात्रा करने वाले थे (2.38 प्रतिशत)

(यूथ फॉर यूनिटी एंड वोलेंटरी एक्शन, 2020)।

- अन्य राज्यों के प्रवासियों के कुल सेंपल में 7001 (50.73 प्रतिशत)ट्रेन, 1416(10.26 प्रतिशत)ट्रक और 1184(8.58 प्रतिशत)पैदल यात्रा कर रहे थे (यूथ फॉर यूनिटी एंड वोलेंटरी एक्शन, 2020)।

उड़ीसा:

राज्य में पलायन:

- केंद्र सरकार ने मार्च, 2020 में लोक सभा में 853777 प्रवासी मजदूरों के उड़ीसा में लौटने की सूचना दी (श्रम और रोजगार मंत्रालय, 2021)।
- उड़ीसा के प्रवासी मजदूरों की संख्या 20 लाख होने का अनुमान है (मिश्रा ए, 2020)।
- रेल मंत्रालय ने 2020 के सितंबर में प्रेस विज्ञप्ति में 244 श्रमिक ट्रेनों के उड़ीसा पहुँचने की सूचना दी (प्रेस सूचना ब्यूरो)। हमारे आंकलन के अनुसार इन ट्रेनों से 333658 यात्री उड़ीसा पहुंचे।
- उड़ीसा के श्रम मंत्री सुशांत सिंह ने विधानसभा में अक्टूबर 2020 से 10.07 लाख प्रवासी मजदूरों के राज्य में लौटने की बात कही (बारिक, 2021)।
- उड़ीसा के आर्थिक सर्वे 2020-2021 के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2020 तक उड़ीसा लौटने वाले 853777 प्रवासियों में ज़्यादातर गुजरात, तमिलनाडु और केरल से राज्य में लौटे थे। राज्य सरकार ने ईस्ट कोस्ट रेलवे को 277 श्रमिक ट्रेनों से राज्य में वापस लौटने वाले 415000 यात्रियों के परिवहन खर्चा के एवज में 9 करोड़ रुपए का भुगतान किया।
- आर्थिक सर्वे में लगातार बताया जा रहा है कि कोविड -19 लॉकडाउन के समय उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम ने पैदल अपने घर जा रहे मजदूरों को राहत दिलाने के लिए 384 स्पेशल बस चलवाई।.

टेबल 4: उड़ीसा लौटने वाले प्रवासी

States	By Trains	By Vehicles	Total
Gujarat	130537	11684	142221
Telangana	60053	23588	83641
Tamil Nadu	54968	57818	112786
Karnataka	25339	12907	38246
Kerala	23716	6815	30531
Other States	63788	93913	157701
Total	358401	206725	565126

Sources: COVID-19 dashboard, 2020

2. Determining the exact carrying capacity for the buses is tricky here. Assuming these were buses with 52 seats and given the social distancing norm that was applicable then - about 25 to 30 passengers would be seated in these buses. Thus, by approximation about 10,500 to 11,000 passengers could have been transported in that period by 384 buses.

राज्य से बाहर जाने वाले:

- रेल मंत्रालय के फरवरी, 2021 के बयान के अनुसार उड़ीसा से श्रमिक ट्रेनों में 3788 यात्रियों को अन्य राज्यों में भेजा गया (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 2021)
- 16 अप्रैल, 2020 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अन्य राज्यों के 77000 प्रवासी मजदूर उड़ीसा में फंसे थे। राज्य सरकार ने 2553 शिविरों में इन मजदूरों के खाने और रहने का इंतजाम किया था (डाउन टू अर्थ, अप्रैल, 2020)। इनमें से बहुत सारे मजदूर उड़ीसा के अलग-अलग जिलों से थे। इनके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के थे।
- 1815 प्रवासी मजदूर जिसमें 1096 पुरुष, 396 महिलाएं और 325 बच्चे थे, पश्चिमी उड़ीसा के सुबर्नपुर जिले में फंसे थे। इन मजदूरों से अप्रैल 2020 में जिला प्रशासन संवाद करता है।

पंजाब

राज्य में आने वाले:

- लोक सभा में 8 मार्च, 2020 को केंद्रीय सरकार ने पंजाब में 515642 प्रवासी मजदूरों के लौट आने की बात बताई (श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021)।

राज्य से बाहर जाने वाले:

- राज्य सरकार के पास 17.19 लाख प्रवासियों ने अपने गृह राज्य वापस लौटने के लिए पंजीकरण किया है और 22 मई, 2020 तक 2.7 लाख प्रवासी श्रमिक ट्रेनों से पंजाब छोड़ कर चले गए हैं (दाश 2020)।
- रेल मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में अगस्त, 2020 तक 429 श्रमिक ट्रेनों से 528587 यात्रियों के पंजाब छोड़ कर दूसरे राज्यों में जाने की बात पता चलती है (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, 2021)
- शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी सरकार के प्रवासी विंग ने 2016 में एक सर्वे किया। उस समय प्रवासियों की संख्या 39 लाख होने का आंकलन किया गया। शिरोमणि अकाली दल के प्रवासी विंग के अध्यक्ष राम चंदर यादव खुलासा करते हैं कि कई सालों बाद यह बढ़कर 43 लाख हो गया (जग्गा, 2022)।

राजस्थान

राज्य में आने वाले:

- केंद्रीय सरकार ने मार्च, 2020 में लोक सभा में 1308130 प्रवासियों के लौटने के बारे में जानकारी दी (श्रम और रोजगार मंत्रालय, 2021)।
- रेल मंत्रालय ने 55 श्रमिक ट्रेनों से प्रवासियों के राजस्थान पहुँचने के बारे में बताया (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 2020)। इन ट्रेनों से लगभग 75210 प्रवासियों के राजस्थान पहुँचने का अनुमान है।
- हिंदुस्तान टाइम्स के 14 मई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग पोर्टलों के माध्यम से 19 लाख प्रवासी पंजीकृत हैं। इनमें 13 लाख प्रवासियों ने राज्य में लौटने के लिए पंजीकरण किया (रावल 2020).
- राज्य स्तरीय समिति के "इंटरस्टेट माइग्रेशन रिपोर्ट" के अनुसार 6 जून तक 24.68 लाख प्रवासी मजदूरों ने घर वापस जाने में मदद के लिए पंजीकरण किया। इनमें से 51.69 प्रतिशत ने राजस्थान वापस आने के लिए पंजीकरण किया था (अगरवाल, 2020)।
- राजस्थान उच्च अदालत में राजस्थान सरकार की ओर से

अदृश्य

बताया गया कि 17 मई, 2020 तक 23 स्पेशल ट्रेनों से 28490 प्रवासी राजस्थान लौटे ("हरी सिंह राजपुरोहित बनाम राजस्थान राज्य", 2020)।

- याचिकाकर्ता की ओर से मोती सिंह राजपुरोहित ने अदालत को बताया कि 2079412 प्रवासी मजदूरों ने राजस्थान वापस आने और राजस्थान से अपने गृह–राज्यों में वापस जाने के लिए ई-पोर्टल में पंजीकरण किया है।
- जून 2020 तक 13.43 लाख प्रवासी बसों से राजस्थान वापस आए (कुमार 2020)।
- राजस्थान सरकार ने 174 ट्रेनों और 14000 बस/निजी वाहनों का इंतजाम करके राजस्थान वापस आने वाले और राजस्थान छोडकर जाने वाले 13.43 लाख प्रवासी मजदूरों की मदद की।
- मई, 2020 के पहले सप्ताह तक के ऑनलाइन पंजीकरण के आंकड़े के अनुसार 21456 प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री, पर्यटक और अन्य लोग दिल्ली में फंसे हुए थे। इनमें 6900 लोगों के पास साधन थे जिसका उन्होंने राजस्थान वापस आने के लिए पंजीकरण करवाया था (बिजनेस स्टैंडर्ड, 2020)।

राज्य से बाहर जाने वाले:

- रेल मंत्रालय ने बताया कि राजस्थान से 131 श्रमिक ट्रेनों से 176404 यात्री अन्य राज्यों में भेजे गए (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 2020, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 2021)।
- राज्य स्तरीय समिति के "इंटरस्टेट माइग्रेशन रिपोर्ट" के अनुसार 6 जून तक 24.68 प्रवासी मजदूरों ने घर वापस जाने में मदद के लिए पंजीकरण किया। इनमें 48.31 प्रतिशत (1192290) मजदूरों ने राजस्थान से अपने राज्यों में लौटने के लिए पंजीकरण किया था (अगरवाल, 2020) ।

- उच्च अदालत में राजस्थान सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गये आंकड़ों के अनुसार 17 मई, 2020 तक 46 स्पेशल ट्रेनों में राजस्थान से 57055 प्रवासी मजदूरों को अपने-अपने राज्यों में वापस भेजा गया।
- अक्सर उपयोग किये जाने वाले रूट: बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश (सोलन), मध्य प्रदेश (शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना), उत्तर प्रदेश (हाथरस), दिल्ली, महाराष्ट्र (यवतमाल)।. (कुमार 2020)

तमिलनाडु

2019 में द हिन्दू अखबार में छपे एक लेख में कहा गया कि 2011 के सेंसस के अनुसार तमिलनाडु में 18 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं (राधाकृष्णन & वसंत, 2019)।

राज्य में लौटने वाले प्रवासी:

- केंद्र सरकार ने लोकसभा में मार्च, 2021 में बताया कि 72145 प्रवासी मजदूर तमिलनाडु लौट आए (श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021)।
- 3 मई, 2020 तक दूसरे राज्यों में रहने वाले या वहाँ फंसे रहने वाले 1.26 लाख तमिलों ने राज्य में लौटने के लिए पंजीकरण किया। इस बीच पंजीकरण नहीं करवाने वाले 1.75 लाख प्रवासी मजदूर लौट गए।
- राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी:
- 6 मई, 2020 तक 2.5 लाख प्रवासी मजदूरों ने अपने गृह राज्यों में जाने के लिए सरकार के पास पंजीकरण करवाया। इन मजदूरों का बड़ा हिस्सा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर-पूर्वी राज्यों और राजस्थान से था (शनमुघासुंदरम 2020)
- रेल मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 1 मई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक तमिलनाडु से 292 श्रमिक ट्रेनों में

396916 यात्रियों/ प्रवासी मजदूरों को अलग-अलग राज्यों में भेजा गया (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो2021)

•तेलंगाना

राज्य में आने वाले प्रवासी:

- केंद्र सरकार ने मार्च, 2021 में लोक सभा में 37050 प्रवासियों के तेलंगाना लौटने के बारे में बताया (श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021)।

राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी

- रेल मंत्रालय के अनुसार 31 अगस्त, 2020 तक तेलंगाना से 166 श्रमिक ट्रेनों में कुल 191005 यात्री राज्य से बाहर चले गये (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 2020, 2021)।
- तेलंगाना पुलिस के अनुसार 9 मई, 2020 तक 3 लाख प्रवासियों ने वापस गृह राज्यों में जाने के लिए पंजीकरण करवाया। इसके बाद पंजीकरण प्रक्रिया रोक दी गई (द न्यूज मिनिट, 2020)
- श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन के समय 470768 से ज्यादा प्रवासी मजदूर राज्य से बाहर चले गये (गुप्ता 2021)।
- हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा के 10 लाख प्रवासी मजदूर रहते थे। किसी तरह का परिवहन साधन नहीं होने के कारण अपने गृह राज्य वापस लौटने के लिए हजारों की संख्या में मजदूरों के थके और सुस्त पैरों ने हाइवे का रूख किया(धरूर, 2020)।

उत्तर प्रदेश

राज्य में आने वाले प्रवासी :

- केंद्र सरकार ने मार्च, 2021 को पूछे गये सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश में कुल 3249638 प्रवासियों के लौटने की बात कही।
- रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि अगस्त 2020 तक देश के अलग-अलग राज्यों से 1726 श्रमिक ट्रेनें उत्तर प्रदेश पहुंची (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 2020)। इन श्रमिक ट्रेनों से कितने प्रवासी उत्तर प्रदेश पहुंचे इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। हमारा आंकलन है कि लगभग 2360219 प्रवासी मजदूर श्रमिक ट्रेनों से उत्तर प्रदेश पहुंचे।
- उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण और रोजगार विभाग के निर्देशक द्वारा मई, 2021 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार महामारी की पूरी अवधि में कुल 3784255 प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य पहुंचे ("उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवासी संकट के प्रबंधन की सुप्रीम कोर्ट ने सराहना की", 2021)।

राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी:

- श्रमिक ट्रेन से संबन्धित रेल मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश से 376 श्रमिक ट्रेनों से देश के अलग-अलग राज्यों में अगस्त 2020 तक 438390 प्रवासियों को भेजा गया (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो , 2020, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 2021)।

पश्चिम बंगाल:

पश्चिम बंगाल आबादी के मामले में देश का चौथा बड़ा राज्य है। उन्नीसवीं सदी के अंत से ही बंगाल प्रवासी मजदूरों का प्रमुख गंतव्य था (चक्रवर्ती, एम, मुखर्जी, एस & दासगुप्ता, 2022)। चक्रवर्ती, मुखर्जी और दासगुप्ता ने बताया कि बंगाल के पिछड़े आर्थिक और कृषि क्षेत्र से पुरुषों का पलायन तेज़ हुआ है, जिसका कारण पिछले दो-तीन दशकों से बंगाल की अर्थनीति का तुलनात्मक रूप से धीमा विकास है। इस बात का पर्याप्त सबूत है कि रोजगार के अवसर की कमी के कारण पिछले दशकों से पश्चिम बंगाल विशेष रूप से ग्रामीण बंगाल से दूसरे

अदृश्य

राज्यों में पलायन बढ़ा है। आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं।

राज्य में आने वाले प्रवासी:

- केंद्र सरकार ने मार्च, 2021 को लोक सभा में पश्चिम बंगाल में 1384693 प्रवासी मजदूरों के लौटने की बात कही (श्रम और रोजगार मंत्रालय 2021)।
- रेल मंत्रालय ने सितंबर, 2020 तक पश्चिम बंगाल में देश के अन्य राज्यों से 284 श्रमिक ट्रेनों के आने की रिपोर्ट की (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 2020)। हमारे आंकलन के अनुसार 388356 प्रवासी वापस बंगाल लौटे।
- सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान वाली याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को जून 2020 से अलग-अलग राज्यों से 682558 प्रवासी मजदूरों के बंगाल में आने की प्रतीक्षा करने के बारे में बताया।
- पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को उद्धृत करते हुए शिव सहाय सिंह ने बंगाल में 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के आने की रिपोर्ट की। रिपोर्टर ने बताया कि 10 जून तक 2.4 लाख ट्रेन से लौटे हैं, 6.5 लाख बसों से लौटे हैं, 1.5 लाख ट्रेन से लौटने वाले हैं। मुख्यमंत्री जिला और राज्य के अधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंस करते समय राज्य में और 10.5 लाख प्रवासियों के लौटने की बात करती हैं।
- आनंद बाजार पत्रिका ने सरकारी स्रोतों को उद्धृत करते हुए लिखा कि प्रारम्भिक सूची के अनुसार 12 लाख प्रवासी बंगाल लौट चुके हैं और उनमें 80 प्रतिशत दूसरे राज्यों में जाना नहीं चाहते (चंद्रप्रभ भट्टाचार्य, "प्रवासियों को रोजगार देना आसान नहीं होगा", आनंद बाजार पत्रिका, 25 जून, 2020, आइच 2020)।

राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासी:

- रेल मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बंगाल से श्रमिक ट्रेनों में 6709 यात्रियों को अलग-अलग राज्यों में भेजा गया (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो 2021)।

शब्दावली

कोविड-19 - कोरोना वायरस

एनसीआर - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

युवा - यूथ फॉर यूनिटी एंड वोलेंटरी एक्शन

एनएसएसओ- नेशनल सेंपल सर्वे ऑर्गनाइज़ेशन

पीडीएस - सार्वजनिक वितरण प्रणाली

आईसीडीएस - समेकित बाल विकास योजना

यूपी - उत्तर प्रदेश

एमपी - मध्य प्रदेश

सीएसओ - नागरिक समाज संगठन

ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग

एससी - अनुसूचित जाति

टेबल और मैप की सूची

टेबल 1: राज्यों के सहभागियों की सूची
टेबल 2: प्रवासी मजदूरों का पलायन (कोविड महामारी के पहले चरण के दौरान)
टेबल 3: प्रवासियों पर संदिग्ध डाटा वाले राज्य
टेबल 4: उड़ीसा लौट आने वाले प्रवासी
ग्राफ 1: कोविड -19 लॉकडाउन के समय प्रवासियों का पलायन
मैप 1: लॉकडाउन के समय गृह-राज्यों में लौटने वाले प्रवासी
मैप 2: लॉकडाउन के समय गंतव्य राज्य छोड़ने वाले प्रवासी
मैप 3: श्रमिक ट्रेन टेबल
मैप 4: छत्तीसगढ़ के प्रमुख पलायन स्रोत जिले
मैप 5: छत्तीसगढ़ का पलायन रूट

संदर्भ

Agarwal, Subodh. 2020. "How Rajasthan managed the migrant worker crisis." *The Hindu Business Line*. June 25. Accessed September 12, 2022. https://www.thehindubusinessline.com/opinion/how-rajasthan-managed-the-migrant-worker-crisis/article31915228.ece.

Aich, Debashis. "Media on migrants: Reports from the field-I". Mahanirban Calcutta Research Group, December 2020. http://www.mcrg.ac.in/PP115.pdf.

Angad, Abhishek. 2021. "Jharkhand govt launches initiative to enable systemic registration of migrant workers." *The Indian Express.* December 17. Accessed September 10, 2022. https://indianexpress.com/article/india/jharkhand-safe-and-responsible-migration-initiative-hemant-soren-7677318/.

Barik, Satyasundar. "Children of Migrant Labourers in Odisha Face an Uncertain Future." The Hindu, February 27, 2021. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/children-of-migrant-labourers-in-odisha-face-an-uncertain-future/article33951850.ece.

Booking in Shramik Special Trains: Lok Sabha. Ministry of Railways. 2020. Government Report, Government of India.

Breman, Jan (2020). The Pandemic in India and Its Impact on Footloose Labour'' The Indian Journal of Labour Economics https://doi.org/10.1007/s41027-020-00285-8 September 2020

Chakraborty, M., Mukherjee, S. & Dasgupta, P. Bengali Migrant Workers in South India: A Mixed-Method Inquiry into Their Earnings, Livings and Struggle During Covid Pandemic. Ind. J. Labour Econ. 65, 425–443 (2022). https://doi.org/10.1007/s41027-022-00374-w

D, Narayana, and C S Venkiteswaran, "*Domestic Migrant Labour in Kerala."* Gulati Institute of Finance and Taxation, 2013.

Dash, Dipak K. "After 2,050 Shramik runs, just 30% of migrants have managed to leave." *Times of India.* May 22, 2020. Accessed September 10, 2022. https://timesofindia.indiatimes.com/india/after-2050-shramik-runs-just-30-of-migrants-have-managed-to-leave/articleshow/75878703.cms.

Deshingkar, Priya. Circular Internal migration and development in India. In Dewind, Josh, and Holdaway, Jennifer (eds), Migration and Development within and across Borders: Research and Policy Perspectives in Internal and International Migration. Geneva: International organization for migration.2008.

Deshingkar, Priya and Start, Daniel (2003). Seasonal Migration for Livelihoods in India: Coping, Accumulation and Exclusion, Working Paper, Overseas Development Institute, London

Dey, Sanjoy. "Jharkhand's first round of mapping shows 70% of migrant workers are skilled." *Hindustan Times .* June 10, 2020. Accessed September 10, 2022. https://www.hindustantimes.com/india-news/jharkhand-s-first-round-of-mapping-shows-70-of-migrant-workers-are-skilled/story-t2IXHB0cOBwTZh4m3XLf2N.html.

Dhariwal, Madhuri, Tanya Vaidya, and Charity Moore. "Returning to Chhattisgarh through the Pandemic Findings from a Survey of Return Migrants." Chikitsak, October 2020, 1–6.

Dharur, Suresh. "Migrant Exodus Shows Lack of Preparedness in AP, Telangana." The Federal, March 31, 2020. https://thefederal.com/states/south/andhra-pradesh/exodus-of-migrants-expose-lack-of-preparedness-in-andhra-pradesh-telangana/.

Disha Foundation (n.d). Tribal Livelihood Migration in India: Situational Analysis, Gap Assessment and Future Direction in 12 states of India (Policy Brief). Nasik: Disha Foundation. Study commissioned by Ministry of Tribal Affairs, Govt of India

Gram Vikas, & Centre for Migration and Inclusive Development. Labour Migration from Rural Odisha. (2021).

"Guest Labourers." Official Website of kerala police, May 16, 2020. https://keralapolice.gov.in/covid/guest-labourers.

"Gujarat Completes Labour Migration; Special Train Operations Ending Today." Desh Gujarat, May 31, 2020. https://www.deshgujarat.com/2020/05/31/gujarat-completes-labour-migration-special-train-operations-ending-today/

Gupta, Jayoti (2003). Informal Labour in Brick Kilns: Need for Regulation, Economic and Political

अदृश्य

Weekly, Vol. 38, No. 31 (Aug. 2-8, 2003), pp. 3282-3292

Gupta, Ridhima. "Telangana sees another exodus of migrants amid second wave of COVID." *The New Indian Express.* April 16, 2021. Accessed September 12, 2022. https://www.newindianexpress.com/states/telangana/2021/apr/16/telangana-sees-another-exodus-of-migrants-amid-second-wave-of-covid-2290596.html.

"Hari Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan." indiankanoon, June 9, 2020. https://indiankanoon.org/doc/146143931/.

Inter-State Migrant Workmen Act. Ministry of Labour and Employment. 2021. Government Report, GoI.

Jagga, Raakhi. "Explained: Migrants in Punjab and why they matter." *The Indian Express.* February 19, 2022. Accessed Sept 2022,19. https://indianexpress.com/article/explained/explained-migrants-in-punjab-and-why-do-they-matter-7780706/#:~:text=In%202020%2C%20during%20the%20Covid,and%206%20lakh%20to%20Bihar.

Jesudasan, Dennis S. "1.26 lakh Tamils residing outside State register with govt. to return home." *The Hindu.* May 3, 2020. Accessed September 19, 2022. https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/126-lakh-tamils-residing-outside-state-register-with-govt-to-return-home/article31496403.ece.

Kallungal, Dhinesh. "Covid did not hit emigration from Kerala, shows data." *The New Indian Express.* July 8, 2021. Accessed September 2022, 15. https://www.newindianexpress.com/states/kerala/2021/jul/08/covid-did-not-hit-emigration-from-kerala-shows-data-2327328.html.

Kumar, Chethan, and Moudgal Sandeep. "Migrant Workers Karnataka: 11.6 Lakh Want to Leave Karnataka, 80% of Them Workers: Bengaluru News - Times of India." The Times of India, May 29, 2020. https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/11-6-lakh-want-to-leave-karnataka-80-of-them-workers/articleshow/76084999.cms.

Kumar, Manish. "32 Lakh Migrants Back in Bihar, State May Stop Special Trains Soon." *NDTV.* June 2, 2020. Accessed September 10, 2022. https://www.ndtv.com/india-news/32-lakh-migrants-back-in-bihar-state-may-stop-shramik-special-trains-soon-2239115.

Kumar, Sharat. "दूसरे राज्यों के मजदूरों को अपनी बसों से मुफ्त में भेज रही राजस्थान सरकार." *Aaj Tak.* May 21, 2020. Accessed September 10, 2022. https://www.aajtak.in/coronavirus/story/rajasthan-gehlot-govt-sending-labourers-their-state-to-free-shramik-special-buses-in-lockdown-1071263-2020-05-21

Labour commissionerate, Govt of Kerala. 2021. Accessed January 28, 2023. https://www.lc.kerala.gov.in/action-plan-migrants-comes-handy-kerala-goes-lockdown

Mander, Harsh and Sahgal, Gayatri (2012). Internal Migration in India: Distress and Opportunities- A study of Internal Migrants to Vulnerable Occupations in Delhi, accessed from http://www.solutionexchange-un-gen-gym.net/wp-content/uploads/2015/06/MANDER_SAHGAL_Internal-Migration_Distress-Opportunities.pdf

"Migration from Jharkhand highest in country: Economic survey." *The Times of India.* February 10, 2017. Accessed September 10, 2022. https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/migration-from-state-highest-in-country-economic-survey/articleshow/57070016.cms.

Ministry of labour and employment. "INTER-STATE MIGRANT WORKMEN ACT ," March 8, 2021. http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/175/AU2110.pdf.

Mishra, Ashutosh. "Odisha Govt Ill-Prepared to Handle the Lakhs of Migrant Workers Coming Home." The Wire, May 4, 2020. https://thewire.in/government/odisha-migrant-workers-quarantine-jobs.

Mishra, Soni. "Chhattisgarh has most number of stranded migrant workers as per CLC data." *The week.* June 5, 2020. Accessed September 12, 2022. https://www.theweek.in/news/india/2020/06/05/chhattisgarh-has-most-number-of-stranded-migrant-workers-as-per-clc-data.html.

MK , Mithun. "After 2.25 Lakh Migrant Workers Register to Go Home, Telangana Puts Process on Hold." The News Minute, May 9, 2020. https://

www.thenewsminute.com/article/after-225-lakh-migrant-workers-register-go-home-telangana-puts-process-hold-124249.

Mosse, David, et al. "On the Margins in the City: Adivasi Seasonal Labour Migration in Western India." Economic and Political Weekly, vol. 40, no. 28, 2005, pp. 3025–3038. JSTOR

Parida, J, and R Raman. "A Study on In-Migration, Informal Employment and Urbanisation in Kerala." *State Planning Board, Government of Kerala*, March 2021, 1–115.

Peter, Benoy, and Liby Johnson. 2021. "Inclusion of Migrant Workers in India: What Works at the Grassroots?" Labour & Development 28 (2): 108–23.

Peter, Benoy, and Vishnu Narendran. 2017. "God's Own Workforce." Centre for Migration and Inclusive Development, 132.

Philip, Christin Mathew. "Tamil Nadu Now Home to 1 Million Migrant Workers: Study: Chennai News - Times of India." The Times of India. TOI, February 7, 2016. https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/tamil-nadu-now-home-to-1-million-migrant-workers-study/articleshow/50861647.cms. Accessed and retrieved on 06-12-2022

Planning and Convergence Department. (2021). Odisha Economic Survey 2020-21. Odisha: Government of Odisha.

Press Information Bureau. *Ministry of Railways Shramik Trains.* September 18, 2020. Accessed September 10, 2022. https://PressInformation Bureau.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1656260.

PTI. "6.44 lakh stranded migrants in Punjab wish to return to their homes." *Deccan Herald.* May 3, 2020. Accessed Sept 2022, 19. https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/644-lakh-stranded-migrants-in-punjab-wish-to-return-to-their-homes-833144.html.

PTI. "10 Lakh Migrant Workers Returned to Jharkhand since March 2020: Govt." Moneycontrol, November 18, 2021. https://www.moneycontrol.com/news/india/10-lakh-migrant-workers-returned-to-jharkhand-since-march-2020-govt-7737531.html.

PTI. "Over 1 Crore Migrant Labourers Return to Home States on Foot during Mar-Jun: Govt." Return to frontpage, September 27, 2020. https://www.thehindu.com/news/national/over-1-crore-migrant-labourers-return-to-home-states-on-foot-during-mar-jun-govt/article61702000.ece

PTI. "Have Brought Back over 5 Lakh Migrant Workers to MP: Govt." The Economic Times, May 23, 2020. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/have-brought-back-over-5-lakh-migrant-workers-to-mp-govt/articleshow/75913192.cms.

PTI. "Over 13 Lakh Migrants Have Returned to Rajasthan: Official." The Hindu, June 5, 2020. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/over-13-lakh-migrants-have-returned-to-rajasthan-official/article31755082.ece

PTI. "Rajasthan Govt Working to Issue Passes to Those Stranded in Delhi." Business Standard, May 4, 2020. https://www.business-standard.com/article/pti-stories/rajasthan-govt-working-to-issue-passes-to-those-stranded-in-delhi-120050401480_1.html.

PTI. "Covid-19 Impact: 8.7 Lakh Expats Return to Kerala; Half of Them Due to Job Loss." mint, January 7, 2021. https://www.livemint.com/news/india/covid19-impact-8-7-lakh-expats-return-to-kerala-half-of-them-due-to-job-loss-11610031693569.html

PTI. "Coronavirus in AP: 12,794 Migrant Workers Willing to Return Home." Business Today, May 1, 2020. https://www.businesstoday.in/latest/economy-politics/story/coronavirus-in-ap-12794-migrant-workers-willing-to-return-home-257057-2020-05-01.

PTI. "Covid-19: With Two Lakh from Andhra Stranded across India, Government Working to Bring Them Home." The New Indian Express, May 4, 2020. https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2020/may/04/covid-19-with-two-lakh-from-andhra-stranded-across-india-government-working-to-bring-them-home-2138909.html.

PTI , 2020. "20 Lakh Migrants, Bulk from West Bengal and Bihar, Register with Maharashtra:

Anil Deshmukh: India News - Times of India." The Times of India, May 17, 2020. https://timesofindia.indiatimes.com/india/20-lakh-migrants-bulk-from-west-bengal-and-bihar-register-with-maharashtra-anil-deshmukh/articleshow/75789409.cms.

Radhakrishnan, S. Anil. "Moves afoot to bring back Keralites in other States by road." *The Hindu.* April 30, 2020. Accessed September 10, 2022. https://www.thehindu.com/news/national/kerala/moves-afoot-to-bring-back-keralites-in-other-states-by-road/article31476590.ece?homepage=true.

Radhakrishnan, Vignesh, and Pon Vasanth. "Migrants in Tamil Nadu: Case of Much Ado about Nothing?" The Hindu, September 8, 2019. https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/migrants-in-tamil-nadu-case-of-much-ado-about-nothing/article29364682.ece.

Rajan &Bhagat. "Internal Migration in India: Integrating Migration with Development and Urbanization Policies." KNOMAD, February 2021. Accessed on December 11, 2022, https://www.knomad.org/sites/default/files/2021-02/Policy%20Brief%20-%20Internal%20Migrationand%20Urbanization%20-%20India%20Policy%20Brief%2012%20Feb%202021.pdf

Rao, Umamaheswara. "Job Losses, Migrant Exodus Define a Year of Lockdown in Andhra Pradesh: Visakhapatnam News - Times of India." The Times of India, March 25, 2021. https://timesofindia.indiatimes.com/city/visakhapatnam/job-losses-migrant-exodus-define-a-year-of-lockdown/articleshow/81675718.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst.

Rawal, Urvashi. "Migrant Influx Pushes up Covid-19 Cases in Rajasthan, Govt Fears Spread in Rural Areas." Hindustan Times, May 14, 2020. https://www.hindustantimes.com/india-news/migrant-influx-pushes-up-covid-19-cases-in-rajasthan-govt-fears-spread-in-rural-areas/story-13XTvmJn33GI5tj6CGMsDN.html.

Reserve Bank of India. 2020. "COVID-19 and its Spatial Dimensions in India." Annual Report.

Rose, Anushka. "Gujarat: Migrant Sugarcane Harvesters Are Forced to Work through the Pandemic." The Wire, April 16, 2020. Accessed on December 11, 2022, https://thewire.in/labour/gujarat-migrant-sugarcane-harvesters-covid-19

Sahu, Priya. "Covid-19: Odisha's Subarnapur Sets Example by Treating Stranded Migrants with Dignity." Down To Earth, April 16, 2020. https://www.downtoearth.org.in/news/food/covid-19-odisha-s-subarnapur-sets-example-by-treating-stranded-migrants-with-dignity-70503.

Samarthan Centre for Development. "Chhattisgarh Interstate Migration Labour Policy," 2020. https://casi.sas.upenn.edu/sites/default/files/uploads/Chhattisgarh%20Inter-State%20Migrant%20Labour%20Policy_English%20-%20Alex%20Paul%20Menon.pdf.

Sharma, Yogima. "Madhya Pradesh Launches Portal to Provide Employment to Migrant Workers." The Economic Times, June 10, 2020. https://m-economictimes-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.economictimes.com/news/economy/policy/madhya-pradesh-launches-portal-to-provide-employment-to-migrant-workers/amp_articleshow/76306024.cms?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16684921635396&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fm.economictimes.com%2Fnews%2Feconomy%2Fpolicy%2Fmadhya-pradesh-launches-portal-to-provide-employment-to-migrant-workers%2Farticleshow%2F76306024.cms.

Shiv Sahay Singh (2020), "Over a million migrant workers have returned to Bengal, says Mamata", The Hindu, June 4, 2020. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/over-a-million-migrants-workers-have-returned-to-bengal-says-mamata/article31744094.ece

"Shramik Special Train Service Closed in Gujarat." The Indian Express, May 31, 2020. https://indianexpress.com/article/india/shramik-special-train-service-closed-in-gujarat-

6436301/#:~:text=According%20to%20officials%2C%20at%20least,Kerala%20and%20Jammu%20and%20Kashmir.

Siddique, Iram. "781 Shramik Trains Left Maharashtra, 30 More Needed: Officials." The Indian Express, May 31, 2020. https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/781-shramik-trains-left-maharashtra-30-more-needed-officials-6435232/.

Srivastava, Ravi (2011). "Labour Migration in India: Recent Trends, Patterns and Policy Issues". Indian Journal of Labour Economics, 54(3): 411-440.

Srivastava, Ravi. "Internal Migration and Social Protection in India: The Missing Links", National Workshop on Internal Migration and Human Development in India, December, 6-7, 2011. ICSSR, New Delhi.2011.

Srivastava, Ravi, and Ajith Jha (2016). "Capital and Labour Standards in the Organized Construction Industry in India: A Study Based on Field Work in the National Capital Region of Delhi". Project Report, Centre for the Study of Regional Development, JNU, Delhi.

Srivastava Ravi (2020). Understanding Circular Migration in India: Its Nature and Dimensions, the Crisis under Lockdown and the Response of the State, Institute of Human Development.

Shanmughasundaram, J. "Tamil Nadu: 2.5 lakh register to go home, 33,000 to come home." *The Times Of India.* May 6, 2020. Accessed September 19, 2022. https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/tamil-nadu-2-5-lakh-register-to-go-home-33000-to-come-home/articleshow/75570109.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst.

Suo Motu Writ Petition (CIVIL): Problems and Miseries of Migrant Labourers. Suo Motu Writ Petition Order, Government of India. June 9, 2020. Accessed December 12, 2022.

Tewary, Amarnath. "Bihar Asks Centre to Bear State's Share of 66 Centrally Sponsored Schemes for next One Year." The Hindu, May 31, 2020. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/bihar-asks-centre-to-bear-states-share-of-66-centrally-sponsored-schemes-for-next-one-year/article31714794.ece.

Thakur, Bhartesh Singh. "1.76 lakh migrants register to return to Haryana." *The Tribune.* May 15, 2020. Accessed Sept 19, 2022. https://www.tribuneindia.com/news/haryana/1-76-lakh-migrants-register-to-return-to-haryana-85170.

TNN. "Gorakhpur Division, Maharajganj District Top Uttar Pradesh in Influx of Migrants: Lucknow News - Times of India." The Times of India. TOI, June 16, 2020. https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/gorakhpur-div-maharajganj-dist-top-state-in-influx-of-migrants/articleshow/76395532.cms

TNN. "Uttar Pradesh Govt's Handling of Migrant Crisis Draws Praise from Supreme Court." The Times of India, June 30, 2021. https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/uttar-pradesh-govts-handling-of-migrant-crisis-draws-praise-from-supreme-court/articleshow/83973513.cms.

Tripathi, Piyush. "Migrants in Bihar to Get Job Alerts via Mobile App." The Times of India. TOI, June 11, 2020. https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/migrants-in-state-to-get-job-alerts-via-mobile-app/articleshow/76309490.cms.

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन

सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन (सीएलआरए) भारत के विशाल अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रों में मजदूर अधिकारों को बढ़ावा देता है। यह अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रों में मजदूरों के काम करने और रहन-सहन की स्थिति को समझने के लिए शोध करता है। इस समझ के आधार पर मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए राज्य के साथ पैरवी करता है। संस्था ने कृषि, ईंट-भट्टा, भवन और निर्माण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में मजदूर आपूर्ति करने वाले मौसमी पलायन की धारा का दस्तावेज बनाने में पथ–प्रदर्शक काम किया है। सीएलआरए के काम ने मजदूरों को संगठित करने की दिशा में वैकल्पिक प्रतिमान स्थापित करने की राह को सुगम बनाया है। मजदूरों के काम की जगहों और काम के अस्थायी स्वरूप, ठेकेदारों की अहम भूमिका, उत्पादन प्रक्रिया का स्वरूप और मजदूरों की आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर वैकल्पिक प्रतिमान विकसित किया है।

रोज़ा लक्ज़मबर्ग स्टीफतुंग

रोज़ा लक्ज़मबर्ग स्टीफतुंग (आरएलएस) एक जर्मन संस्थान है। संस्थान दक्षिण एशिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में आलोचनात्मक समाज विश्लेषण और नागरिक शिक्षा पर काम करता है। यह सार्वभौम, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष और जनवादी सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है, समाज के सदस्यों और नीति बनाने वालों को इस तरह की सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुगम बनाने की संभावना से लैस मॉडल विकसित करने में संस्थान शोध संस्थानों, सामाजिक मुक्ति के लिए काम करने वाले समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को समर्थन देता है।

अस्वीकृति :

जर्मन संघीय गणराज्य के 'आर्थिक सहयोग और विकास के संघीय मंत्रालय' के फंड से "रोज़ा लक्ज़मबर्ग स्टीफतुंग (आरएलएस) ने इस अध्ययन को प्रायोजित किया है। मूल प्रकाशन का उचित संदर्भ देकर इस प्रकाशन या उसके किसी हिस्से का निःशुल्क उपयोग कोई भी कर सकता है। इस प्रकाशन की सामग्री की ज़िम्मेदारी हमारे सहभागी सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन (सीएलआरए) की है और यह जरूरी नहीं है कि वह आरएलएस की स्थिति को दर्शाता हो।